ISSN 2455-6181

वर्ष : 14, अंक : 8 अगस्त 2016 ₹ 10

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 14 ★ अंक : 8 ★अगस्त 2016 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
सुधीर हिलसायन

सम्पादक मंडल
प्रो. राजकुमार फलवरिया
प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा
डॉ. प्रभु चौधरी

सम्पादकीय कार्यालय
सामाजिक न्याय संदेश
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15 **जनपथ, नई दिल्ली**-110001
सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320589
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com
वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है)

साज-सज्जा एवं डिजाइन : राजन कुमार

कार्यालय व्यवस्था
मनोज कुमार
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23320588

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

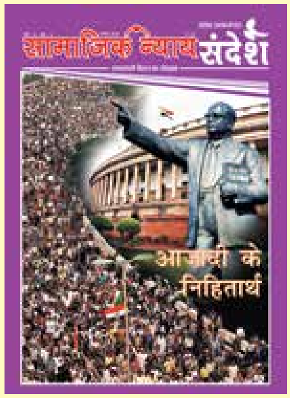

इस अंक में

❖ सम्पादकीय/आजादी के निहितार्थ	सुधीर हिलसायन	2
❖ विमर्श/डॉ. अम्बेडकर के सपनों का भारत	नितिका गुप्ता	4
❖ विमर्श/15 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस	डॉ. प्रभु चौधरी	7
❖ टिप्पणी/'मैं' से नहीं, 'हम' से बनेगा राष्ट्र	राजन कुमार	9
❖ विशेष लेख/डॉ. अम्बेडकर का नारीवादी चिंतन	मनोज कुमार गुप्ता	13
❖ पुस्तक अंश/बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर-जीवन चरित	धनंजय कीर	18
❖ जानकारी/क्या हैं हमारे मूल अधिकार	अरविंद	24
❖ कहानी/मातम	डॉ. पूरन सिंह	28
❖ पुस्तक अंश/कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	39
❖ रपट-1/अनुसूचित जातियों के प्रति संवैधानिक सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान		56
❖ रपट-2/प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा		57

ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250

डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320589 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23320588

आजादी के निहितार्थ

"हमारा संविधान महज राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक दस्तावेज भी है और उसमें सामाजिक व आर्थिक न्याय के लक्ष्य निहित हैं। ग्रैनविले आस्टिन ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन कान्स्टीट्यूशन : कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन' में लिखा है कि 'भारतीय संविधान प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है इसके अधिकांश प्रावधान या तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं या आवश्यक परिस्थितियां पैदा कर इस क्रांति के विकास को संभव बनाते हैं।' यहां उल्लेखनीय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई मौकों पर अपने संबोधन में कहा है कि 'संविधान देश का सबसे बड़ा धर्मग्रंथ है।'"

आजादी के 70 साल बाद आज हम इस बात पर विचार करें कि 'लोक' अर्थात् आम जन को आजादी से क्या मिला है तो आजादी के जश्न में शामिल होने की इच्छा का ग्राफ उलट-पलट सकता है। यूं भी 15 अगस्त के मौके पर आमजनों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'आजादी से हमें क्या मिला है?'

आमजनों के इस सोच को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर यकीनन पहुंचा जा सकता है कि आजादी से तो उन्हें ही फायदा हुआ है जिनके पास सामाजिक व आर्थिक सत्ता का या तो साम्राज्य है, या उस साम्राज्य में उनकी दखल है जिनके बूते वे समाज के एक बड़े तबकों को नियंत्रित करने का काम करते रहे हैं।

स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि राजनीतिक आजादी को ही आजादी मान लिया गया है और अंग्रेजों के भारत छोड़ने को जरूरत से ज्यादा प्रचारित-प्रसारित करने का परिणाम यह हुआ है कि वह हमारे मन मस्तिष्क में घर कर गयी है। आजादी एक सम्पूर्ण जीवन पद्धति का नाम है, जिससे आज भारत का तकरीबन 50 फीसदी से ज्यादा लोग अछूते हैं अगर यह कहा जाए कि उन्हें संपूर्ण आजादी दिया जाना है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज भी इस देश का एक बड़ा तबका सम्मानपूर्ण जीवन से परे है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान देश को सौंपते हुए जो जिम्मेवारी देश पर सौंपी थी। उस उत्तरदायित्व का निर्वहन पिछले सात दशकों में नहीं हुआ है। स्वातंत्र्योतर भारत में देश पर शासन करने वाली सरकारों एवं उनके नीति निर्माताओं, योजनाकारों ने अपना काम उस तरीके से नहीं किया जैसी अपेक्षा संविधान निर्माता एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सब कुछ लुटाने वाले मनीषियों ने किया था।

संविधान को सौंपते हुए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा कहे गये ये शब्द 'सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है और जब तक

सम्पादकीय

देश में हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय आधारित व्यवस्था का निर्माण नहीं करते तब तक 'लोकतंत्र' की सम्पूर्ण संकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता।'

हमारा संविधान महज राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक दस्तावेज भी है और उसमें सामाजिक व आर्थिक न्याय के लक्ष्य निहित हैं। ग्रैनविले आस्टिन ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन कान्स्टीट्यूशन : कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन' में लिखा है कि 'भारतीय संविधान प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है इसके अधिकांश प्रावधान या तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं या आवश्यक परिस्थितियां पैदा कर इस क्रांति के विकास को संभव बनाते हैं।' यहां उल्लेखनीय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई मौकों पर अपने संबोधन में कहा है कि 'संविधान देश का सबसे बड़ा धर्मग्रंथ है।'

परंतु विडम्बना यह है कि आजादी के बाद सत्ता प्रतिष्ठान का नेतृत्त्व करने वालों ने संविधान का सम्यक कार्यान्वयन करने/कराने में असफल रहे, जिसके कारण सामाजिक व आर्थिक न्याय का सुनिश्चितीकरण उस गति से नहीं हो पाया जिसकी कल्पना की गई थी।

भारतीय संविधान 'सामाजिक न्याय' का चार्टर भी है परंतु उसकी चाबी अब तक जिनके पास रही है, उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं किया और उनमें इच्छा शक्ति का नितांत अभाव रहा है जिसके कारण 'सम्पूर्ण लोकतंत्र' अर्थात् 'सम्यक लोकतंत्र' की स्थापना नहीं हो पाई और हमारे देश के वंचितों, उपेक्षितों का सामाजिक व आर्थिक शोषण होता रहा और सामाजिक व आर्थिक न्याय की बयार उनसे दूर भागती रही।

राजनीतिक आजादी का विस्तार सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आजादी में भी होना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा न हो पाना दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र से नवाजे जाने वाले भारत देश को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़े करने या होने में बड़ी बाधा रही है।

दरअसल राजनीतिक आजादी का उपयोग सम्पूर्ण आजादी हासिल करने के लिए नहीं हुआ। इसके लिए राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व व पूरी राजनीतिक व्यवस्था दोषी रही है, यह कहना सही नहीं होगा। समाज के स्तर पर जिस पहल/सहयोग की उम्मीद थी उसका भी नितांत अभाव रहा है। पिछले दशकों में जितना होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वर्षों से स्थिति जड़ बनी हुई है। इस जड़ता को तोड़ने के लिए 'समाज' को आगे आना ही होगा।

सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर कुछ मुट्ठीभर लोगों का एकाधिकार तोड़ा जाए, पूरे देश समाज का उस पर अधिकार हो।

भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय की बयार को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है। आइए, हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में संपूर्ण लोकतंत्र को प्रतिष्ठापित करने का सम्यक संकल्प लें।

(सुधीर हिलसायन)

डॉ. अम्बेडकर के सपनों का भारत

■ **नितिका गुप्ता**

बेशक भारत सन् 1947 में ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करके दुनिया के नक्शे पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर चुका है परंतु भारतीय समाज में अभी भी एकता, समानता एवं भ्रातृत्व भावना की अत्यंत कमी है, जिन्हें प्राप्त करने में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मानसिक व सामाजिक स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुआ। उनका पैतृक गांव रत्नागिरी जिले का अम्बावड़े गांव था। उनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता फौज में थे। जब वे पांच वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। महाराष्ट्र में नाम के साथ गांव का नाम 'कर' लगाकर लिखा जाता है इसलिए जब वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सतारा के एक सरकारी विद्यालय में गए तो उनका नाम 'भीमराव अम्बावाडेकर' लिखा गया। एक अम्बेडकर उपनाम के अध्यापक ने उनसे कहा कि 'अम्बावाडेकर' बोलने में अटपटा लगता है, अत: तुम 'अम्बेडकर' उपनाम लिखा करो। बस तभी से उन्हें भीमराव अम्बेडकर कहकर सम्बोधित किया जाने लगा। कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण, वे शिक्षा-अर्जन का कार्य करते रहते थे। सन् 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।

सन् 1908 में 17 वर्ष की आयु में डॉ. अम्बेडकर का विवाह रमाबाई के साथ हुआ। उन्होंने बड़ौदा के महाराज द्वारा दी जाने वाली 25 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के बलबूते सन् 1912 में बी.ए. की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एम.ए. और पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। परंतु अचानक छात्रवृत्ति बंद किए जाने पर वे भारत लौट आए और बड़ौदा की सेना में सैन्य सचिव के पद पर कार्य करने लगे। लेकिन रियासत की सेवा में उन्हें अनेक

डॉ. अम्बेडकर ने समाज-सुधार के अनेक कार्य किए। उनके प्रेरणा स्त्रोत कबीर, फूले और महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'शूद्र कौन थे?' (हू वेयर शूद्राज) को महात्मा फूले को समर्पित किया है। उन्होंने अछूतों, गरीबों, किसानों, स्त्रियों, मजदूरों सभी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया। भारतीय समाज में अछूतों की दीन-हीन स्थिति के वे खुद भोक्ता रहे थे इसलिए उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध कई आंदोलन किए।

प्रकार के अपमान झेलने पड़े। बाद में वे बम्बई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हो गए। सन् 1920 में कोल्हापुर के महाराज द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करके, वे अपनी अधूरी पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। सन् 1923 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस (डी. एस.सी.) की उपाधि प्राप्त हुई। लंदन में बैरिस्टरी पास करके, वे भारत वापस लौट आए। फिर वे बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे और बम्बई विधान-परिषद् के सदस्य मनोनीत हुए।

डॉ. अम्बेडकर ने समाज-सुधार के अनेक कार्य किए। उनके प्रेरणा स्त्रोत कबीर, फुले और महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'शूद्र कौन थे?' (who were shudras) को महात्मा फुले को समर्पित किया है। उन्होंने अछूतों, गरीबों, किसानों, स्त्रियों, मजदूरों सभी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया। भारतीय समाज में अछूतों की दीन-हीन स्थिति के वे खुद भोक्ता रहे थे, इसलिए उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध कई आंदोलन किए। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए 1917 के आस-पास ही आंदोलन शुरू कर दिए थे, लेकिन 1927 से उनके आंदोलनों ने जोर पकड़ना शुरू किया। उनके प्रमुख आन्दोलनों में महाड़ सत्याग्रह (1927), मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन (1929-30), लेबर पार्टी की स्थापना (1936), नागपुर सम्मेलन (1942), धर्म परिवर्तन आन्दोलन (1956), आदि महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूकनायक और जनता अखबार निकाले।

भीमराव अम्बेडकर जात-पाँत तोड़कर भारत में एक वर्गहीन-वर्णहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि स्त्री चाहे किसी भी वर्ग या जाति की हो, उसका समाज द्वारा शोषण होता ही है। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ की स्त्रियों और बच्चों की स्थिति अच्छी हो। उन्होंने लड़कों के साथ-साथ ही लड़कियों की शिक्षा की ओर भी समाज का ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बाल-विवाह का जमकर विरोध किया। साथ ही हिन्दू-कोड बिल (जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे) को पास करवाने के लिए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी दिया। उनके प्रयास से ही संविधान में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। उनके इन्हीं कार्यों के कारण उन्हें 'बाबा साहेब' कहकर भी सम्बोधित किया गया है। जब अनेक सुधारवादी आन्दोलनों के बाद 14 अक्टूबर 1956 को एक विशाल जनसभा में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसी वर्ष 6 दिसम्बर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया।

भारत को स्वतंत्र हुए लगभग सात दशक होने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग एक-दूसरे के नजदीक आने की जगह एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यातायात के अनेक साधन विकसित होने के कारण हमारी स्थानीय दूरियाँ तो जरूर घट गई हैं, किन्तु धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्वार्थों के चलते हम कहीं-न-कहीं आज भी मानसिक तथा सामाजिक गुलामी के शिकार हैं।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लिए अपना देश सबसे महत्त्वपूर्ण था। सबसे पहले वे स्वयं को भारतीय मानते थे बाद में कुछ और। उनके लिए देश हित सर्वोपरि था। उन्होंने कई अवसरों पर कहा है कि 'एक अच्छा समाज स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर आधारित होता है'। इन तीनों तत्त्वों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये ही तत्त्व मिलकर समाज में एकता स्थापित करते हैं। सम्पूर्ण भारतीय लोग आपस में भाई-भाई हैं, सम्पूर्ण भारतीय जनता अपनत्व की भावना से जुड़ी हुई है। अगर मन में ऐसी सद्भावना है तो वही भाईचारे के नाम से जानी जाती है। सामाजिक जीवन में एकता का उत्तम रस बरसाने वाला यदि कोई तत्त्व है तो वह है भाईचारा। वस्तुतः हमें एक ऐसा मार्ग बनाना चाहिए जो हमें बंटवारे के रास्ते से एकता की ओर ले जाए।

भारत में अनेक धर्म व जातियाँ विद्यमान हैं। इनकी आड़ लेकर कुछ व्यक्ति सामाजिक जीवन में बिखराव पैदा कर सकते हैं, जिससे देश के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अंग्रेजों से आजाद हुए तो हमें 69 वर्ष बीत गए हैं परंतु हम अभी भी मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में कई व्यक्ति धर्म के नाम

विमर्श

पर ही मानव-मानव के बीच दरार उत्पन्न कर रहे हैं। आये दिन होने वाले दंगे-फसाद कहीं-न-कहीं इसी ओर इशारा करते हैं। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि "जिस धर्म का मूलतत्त्व मनुष्य-मनुष्य में भेद पैदा करना है, वह धर्म 'सत्धर्म' कहने के लायक नहीं है।" उनका मानना था कि "किसी भी धर्म को दरिद्रता और गरीबी का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरिद्रता का समर्थन करने का मतलब गुनाहगारी और अनैतिक आचरण को बढ़ावा देकर इस जीवन में नारकीय स्थिति पैदा करने जैसा भयंकर पाप करना है।" वस्तुतः नैतिकता पर आधारित धर्म ही समाज के लिए उपयोगी है। साथ ही डॉ. अम्बेडकर को सर्वाधिक गुस्सा जाति प्रथा और इससे उत्पन्न छुआछूत पर था। स्वतंत्र स्त्री-पुरुषों के समाज की स्थापना जाति संस्था से जूझे बिना नहीं होगी। जाति संस्था न केवल समता पर आधारित समाज के विरुद्ध हैं अपितु सब मनुष्यों को सम्मान देने की कल्पना के भी विरुद्ध है। अपने भाषणों में अम्बेडकर ने कहा है कि ये जाति प्रथा ही विषमता का मूल कारण है। "किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी क्षमता, अपनी विशिष्टता के विकास हेतु अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए परंतु जाति प्रथा इस सिद्धांत का निषेध करती है।" आज के कई युवा इस संकीर्णता से अत्यधिक ग्रस्त हैं। वर्तमान में भी ये जाति प्रथा कई युवाओं के विचारों एवं मन:स्थिति में पूरी तरह से रची-बसी हुई है। उनके लिए अभी भी मनुष्य की कीमत कम, जाति की कीमत अधिक है। जाति उनके लिए वह अमूल्य निधि है जिसके ऊपर वे अपने अस्तित्व व अस्मिता तक को न्यौछावर कर सकते हैं। वे भूखा मरना पसन्द करते हैं लेकिन दूसरे का पेशा नहीं अपनाते। आर्थिक संगठन के लिए यह जाति प्रथा अत्यन्त विनाशकारी है। इससे किसी भी व्यक्ति के प्राकृतिक गुणों, शक्तियों एवं भावनाओं का हनन होता है। अतः जब तक युवा पीढ़ी के दिमाग से जात-पाँत का भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हम परतंत्र ही रहेंगे।

आजादी के बाद शिक्षा की बात की जाए तो सन् 1951 में लगभग 84 प्रतिशत आबादी निरक्षर थी। महिलाओं में तो यह दर लगभग 92 प्रतिशत थी। वर्तमान में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है लेकिन हम आज भी आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व भुखमरी का सामना कर रहे हैं। माना कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति शिक्षा में ही निहित है, परंतु खाली विद्या से भी काम नहीं चलेगा जब तक उसे प्राप्त करने की क्षमता अर्जित नहीं की जाती, उस हेतु ग्राह्यता उत्पन्न नहीं की जाती, उसके लिए उपाय नहीं किए जाते, उसका उपयोग कल्याणकारी कामों में नहीं किया जाता। गाँवों-शहरों में समान शत-प्रतिशत साक्षरता का मिशन पूरा नहीं किया जाता।

वास्तव में अंग्रेजों से जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वह ऐतिहासिक होते हुए भी वर्तमान में अधूरी है। जब तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, स्त्रियों का शारीरिक व मानसिक शोषण, लैंगिक, जातिगत व आर्थिक असमानता, राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, भूख, बेराजगारी, भेदभाव, छुआछूत तथा आतंकवाद का अंत नहीं हो जाता तब तक डॉ. अम्बेडकर का स्वतंत्र भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए न सिर्फ शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है, बल्कि युवा पीढ़ी को संगठित होकर देश हित के लिए बढ़-चढ़कर कार्य करने की भी आवश्यकता है। सही अर्थो में तभी हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पायेंगे।

संदर्भ-सूची:-

1. अम्बेडकर डॉ. भीमराव रामजी, अनुवादक/सम्पादक-डॉ. एल. जी. मेश्राम 'विमलकीर्ति', और बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा...., खण्ड चार, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, पहला संस्करण 2008, पृष्ठ-221
2. वही, पृष्ठ-254
3. वही, पृष्ठ-248
4. लिमये मधु, बाबासाहेब आंबेडकर-एक चिंतन, आत्माराम एण्ड संस दिल्ली, संस्करण 2002, पृष्ठ-20
5. सिंह मोहन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर : व्यक्तित्व के कुछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण 2008, पृष्ठ-103
6. सिंह रघुवीर, डॉ. अम्बेडकर और दलित चेतना, कामना प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2000, पृष्ठ-9

(लेखिका डॉ. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में शोधरत हैं।)

15 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस

■ डॉ. प्रभु चौधरी

"अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आजादी की गौरव गाथा लिखी गई है। यदि बीज को भी धरती में दबा दें तो वो धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है।"

आजादी कहें या स्वतंत्रता ये ऐसे शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। आजादी एक स्वाभाविक भाव है या यूं कहें कि आजादी की चाहत मनुष्य को ही नहीं जीव-जंतु और वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेजों की दासता में था, उनके अत्याचार से जन-जन त्रस्त था। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में आजादी का पहला बिगुल 1857 में बजा किंतु कुछ कारणों से हम गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं हो सके। वास्तव में आजादी का संघर्ष तब अधिक हो गया जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आजादी की गौरव गाथा लिखी गई है। यदि बीज को भी धरती में दबा दें तो वो धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। तभी तो यथा कहा गया है कि -

पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।

जिस देश में चंद्रशेखर, भगतसिंह, राजगुरू, सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी मौजूद हों उस देश को गुलाम कौन रख सकता था। आखिर देशभक्तों के महत्वपूर्ण योगदान से 14 अगस्त की अर्धरात्रि को अंग्रेजों की दासता एवं अत्याचार से हमें आजादी प्राप्त हुई थी। ये आजादी अमूल्य है क्योंकि इस आजादी में हमारे असंख्य भाई-बंधुओं का संघर्ष, त्याग तथा बलिदान समाहित है। ये आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। वंदेमातरम् और इंकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए। 13 अप्रैल 1919

को जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्त नर-नारियों के बलिदान की गवाही दे रही है।

आजादी अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लाती है, हम सभी को जिसका ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए, किंतु क्या आज हम 69 वर्षों बाद भी आजादी की वास्तविकता को समझकर उसका सम्मान कर रहे हैं? आलम तो ये है कि यदि स्कूलों तथा सरकारी दफ्तरों में 15 अगस्त न मनाया जाए और उस दिन छुट्टी न की जाए तो लोगों को याद भी न रहे कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है जो हमारी जिंदगी के सबसे अहम दिनों में से एक है।

एक सर्वे के अनुसार ये पता चला कि आज के युवा को स्वतंत्रता के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी फिल्मों के माध्यम से मिलती है और दूसरे नंबर पर स्कूल की किताबों से जिसे सिर्फ मनोरंजन या जानकारी ही समझता है। उसकी अहमियत को समझने में सक्षम नहीं है। ट्विटर और फेसबुक पर खुद को अपडेट करके और आर्थिक आजादी को ही वास्तविक आजादी समझ रहा है।

आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का परिणाम है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुश्किलों से मिली आजादी की रूह को समझें। आजादी के दिन तिरंगे के रंगों का अनोखा अनुभव महसूस करें इस पर्व को भी आजाद भारत के जन्म दिवस के रूप में पूरे दिल से उत्साह के साथ मनाएं। स्वतंत्रता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न होकर एक वादे का भी निर्वाह करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारत की गरिमा और सम्मान को सदैव अपने से बढ़कर समझेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं से कलम का विराम देते हैं।

हो चित्त जहां भय-शून्य, माथ हो उन्नत
हो ज्ञान जहां पर मुक्त, खुला यह जग हो
घर की दीवारें बने न कोई कारा
हो जहां सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का
हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की
हां नहीं रूढ़ियां रचती कोई मरूस्थल
पाये न सूखने इस विवेक की धारा
हो सदा विचारों, कर्मों की गतों फलती
बातें हों सारी सोची और विचारी
हे पिता मुक्त वह स्वर्ग रचाओं हमसें
बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा
जय हिंद, जय भारत

(लेखक संपादक मंडल के सदस्य हैं)

'मैं' से नहीं, 'हम' से बनेगा राष्ट्र

■ राजन कुमार

"वे चेतावनी भी देते हैं कि हजारों जातियों में बंटे भारतीय समाज का एक राष्ट्र बन पाना आसान नहीं होगा। सामाजिक व आर्थिक जीवन में घनघोर असमानता और कड़वाहट के रहते यह काम मुमकिन नहीं है। अपने बहुचर्चित, लेकिन कभी न दिये गये, भाषण 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' में बाबासाहेब जाति को राष्ट्र विरोधी बताते हैं और इसके विनाश के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।"

एक आजाद देश में पले-बढ़े आदमी और एक गुलाम देश में पले-बढ़े आदमी में क्या फर्क होता है? आजाद आदमी के अंदर कुछ सोचने, फैसला करने और अपने फैसले पर अमल करने की दिलेरी होती है। गुलाम आदमी यह दिलेरी खो चुका होता है। वह हमेशा दूसरे के विचारों को अपनाता है, घिसे-पिटे रास्तों पर चलता है। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई कठिन निर्णय लेने योग्य खुद को बना लेता है तो समझिए वह आजाद है और तभी वह जीवन के अर्थों को समझ पाता है।

आज हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें अपने देश को मिले आजादी के 70 साल के बाद की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और अपने आप को उस आजादी के समानांतर खड़ा करके आंकना चाहिए।

क्या हम कह सकते हैं कि गुलामी और हीनता का भाव हमारे मन से बिल्कुल दूर हो चुका है? क्या हम दावा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम मूलतः हमारे अपने हैं और हमने दूसरों की नकल करनी छोड़ दी है? क्या हम स्वयं अपने लिए फैसले लेकर उन पर अमल कर सकते हैं?

एक बार हम 70 साल के आजादी को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर आजाद भारत को किस तरह देखना चाहते थे। उनकी क्या-क्या योजनाएं थीं? क्या लक्ष्य थे? असहमतियां भी क्या थीं?

बाबासाहेब का आजाद भारत

संविधान सभा में पूछे गये तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जब बाबासाहेब 25 नवंबर, 1949 को खड़े होते हैं, तो वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत आजाद हो चुका है, लेकिन उसका एक राष्ट्र बनना अभी बाकी है। बाबासाहेब कहते हैं कि 'भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनना है, तो सबसे पहले इस वास्तविकता से रूबरू होना आवश्यक है कि हम सब मानें कि जमीन के एक टुकड़े पर कुछ या अनेक लोगों के साथ रहने भर से राष्ट्र नहीं बन जाता। राष्ट्र निर्माण में व्यक्तियों का 'मैं' से 'हम' बन जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है।'

वे चेतावनी भी देते हैं कि हजारों जातियों में बंटे भारतीय समाज का एक राष्ट्र बन पाना आसान नहीं होगा। सामाजिक व आर्थिक जीवन में घनघोर असमानता और कड़वाहट के रहते यह काम मुमकिन नहीं है। अपने बहुचर्चित, लेकिन कभी न दिये गये, भाषण 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' में बाबासाहेब जाति को राष्ट्र विरोधी बताते हैं और इसके विनाश के महत्त्व को रेखांकित

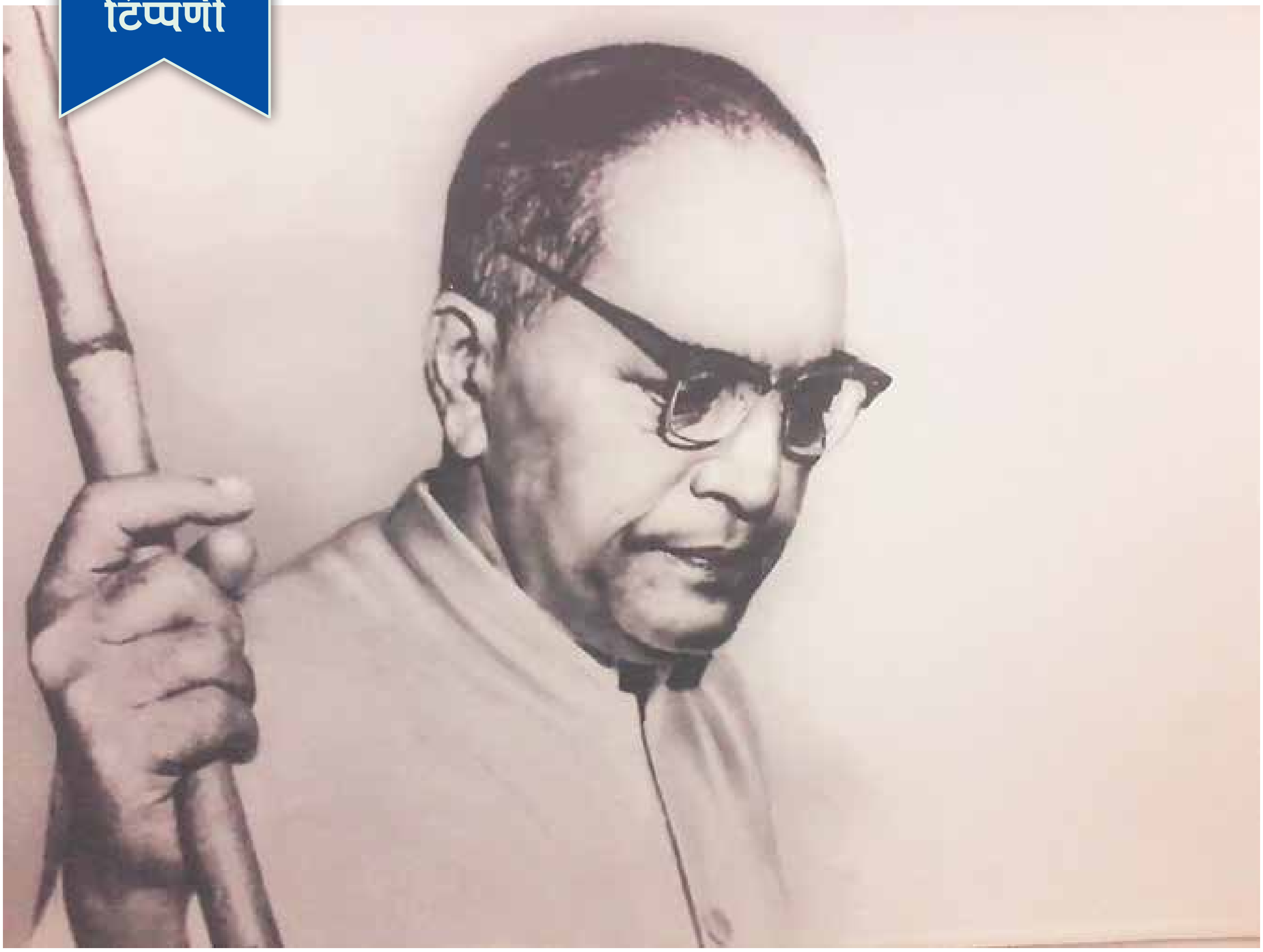

करते हैं।

बाबासाहेब की संकल्पना का राष्ट्र एक आधुनिक विचार है। वे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन वे इसे पश्चिमी विचार नहीं मानते। वे इन विचारों को फ्रांसीसी क्रांति से न लेकर, बौद्ध परंपरा से लेते हैं। संसदीय प्रणालियों को भी वे बौद्ध भिक्षु संघों की परंपरा से लेते हैं।

अनूठे देशभक्त और राष्ट्रवादी

बाबासाहेब ने कहा था, भारत एक अनूठा देश है। इसके राष्ट्रवादी एवं देशभक्त भी अनूठे हैं। भारत में एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त वह व्यक्ति है जो अपने समान अन्य लोगों के साथ मनुष्य से कमतर व्यवहार होते हुए अपनी खुली आंखों से देखता है, लेकिन उसकी मानवता विरोध नहीं करती। उसे मालूम है कि उन लोगों के अधिकार अकारण ही छीने जा रहे हैं, लेकिन उसमें मदद करने की सभ्य संवेदना नहीं जगती। उसे पता है कि लोगों के एक समूह को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके भीतर न्याय और समानता का बोध नहीं होता। मनुष्य और समाज को चोटिल करने वाले सैकड़ों निंदनीय रिवाजों के प्रचलन की उसे जानकारी है, लेकिन वे उसके भीतर घृणा का भाव पैदा नहीं करते हैं। देशभक्त सिर्फ अपने और अपने वर्ग के लिए सत्ता का आकांक्षी होता है।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग में शामिल नहीं हूं। मैं उस वर्ग में हूं, जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होता है और जो हर तरह के एकाधिकार को ध्वस्त करने का आकांक्षी है। हमारा लक्ष्य जीवन के हर क्षेत्र- राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक- में 'एक व्यक्ति-एक मूल्य' के सिद्धांत को व्यवहार में उतारना है।

संविधान पर बाबासाहेब के विचार

26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। अम्बेडकर के शब्दों में "किसी देश का संविधान मूल दस्तावेज होता है। जिसमें तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की शक्तियों एवं अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है।" संविधान सभा में डिबेट समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समानता होगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी।

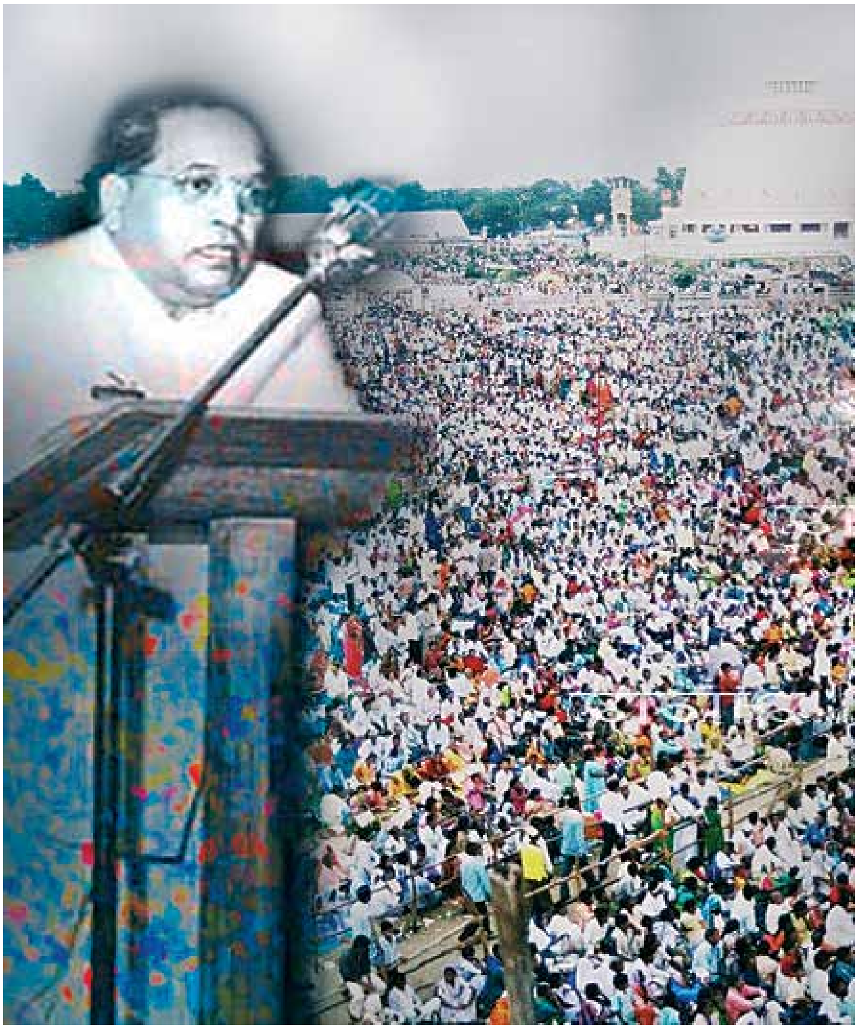

करते हैं – ''छोटे समुदायों और छोटे लोगों को यह डर रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ब्रितानी संसद इस डर को दबा कर काम करती है। श्रीमान, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है। पर मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि इसे जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होउंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। पर, फिर भी यदि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहें तो हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते कि 'नहीं, नहीं, हम अल्पसंख्यकों को महत्त्व नहीं दे सकते क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा।' मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे नुकसानदेह होगा।''

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 2

राजनीति में 'एक व्यक्ति एक मत' और 'एक मत एक आदर्श' के सिद्धांत को मानेंगे। मगर सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण हम सामाजिक-आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक आदर्श के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। आखिर कब तक हम अंतर्विरोधों के साथ जिएंगे? कब तक सामाजिक-आर्थिक समानता को नकारते रहेंगे? अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए, हमें यथाशीघ्र यह अंतर्विरोध ख़त्म करना होगा, वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनैतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे। जिसे बहुत मुश्किल से तैयार किया गया है।"

राजनीति में 'एक व्यक्ति एक मत' और 'एक मत एक आदर्श' के सिद्धांत को मानेंगे। मगर सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण हम सामाजिक-आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक आदर्श के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। आखिर कब तक हम अंतर्विरोधों के साथ जिएंगे? कब तक सामाजिक-आर्थिक समानता को नकारते रहेंगे? अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर एवं संविधान

बाबासाहेब देश की सामाजिक स्थितियों और इसमें वर्चस्वशाली के हरकतों के मद्देनजर संविधान को उपयुक्त न मानकर इसकी आलोचना

सितम्बर 1953 को राज्यसभा में देश में एक गवर्नर की शक्तियां बढ़ाने पर हो रही चर्चा के दौरान संविधान संशोधन

का पुरजोर समर्थन किया।

वे कहते हैं – ''मेरा मानना यह है कि अगर हमारे संविधान में संशोधन किया जाए तो हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।''

संविधान को लेकर हजारों मीडिया रिपोर्ट्स और दृष्टिकोण छापे जा चुके हैं। और फिर हमारे राजनेता भी हैं, पर किसी ने भी आज तक यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर हमारे संविधान निर्माता ने ऐसा क्यों कहा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर विचारकों से यह जानना चाहते हैं कि अगर आप वाकई किसी को याद रखना चाहते हैं, उसे सम्मानित करना चाहते हैं तो क्या बस आप उनकी याद में बस एक उत्सव मनाएंगे या फिर उनकी कही हुई बातों को याद रखते हुए उन्हें अमल में लाएंगे?

दुख के क्षणों में अगर नागरिकों में साझापन नहीं है, तो जमीन के एक टुकड़े पर बसे होने और एक झंडे को जिंदाबाद कहने के बावजूद हम लोगों का एक राष्ट्र बनना अभी बाकी है। राष्ट्र बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अतीत की कड़वाहट को भूलना सीखें। अमूमन किसी भी बड़े राष्ट्र के निर्माण के क्रम में कई अप्रिय घटनाएं होती हैं, जिनमें कई की शक्ल हिंसक होती है और वे स्मृतियां लोगों में साझापन पैदा करने में बाधक होती हैं।

आज के परिप्रेक्ष्य में बाबासाहेब की चिंताएं

स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों की स्थापना संविधान में नियम कानूनों के जरिये की गयी है। इन दो विचारों को मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल करके इनके महत्त्व को रेखांकित भी किया गया है। लेकिन इन दोनों से महत्त्वपूर्ण या बराबर महत्त्वपूर्ण है बंधुत्व का विचार। क्या कोई कानून या संविधान दो या अधिक लोगों को भाईचारे के साथ रहना सिखा सकता है? क्या कोई कानून मजबूर कर सकता है कि हम दूसरे नागरिकों के सुख और दु:ख में साझीदार बनें और साझा सपने देखें? क्या इस देश में दलित उत्पीड़न पर पूरा देश दु:खी होता है? क्या मुसलमानों या ईसाइयों पर होने वाले हमलों के खिलाफ पूरा देश एकजुट होता है? क्या आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण राष्ट्रीय चिंता का कारण हैं? दुख के क्षणों में अगर नागरिकों में साझापन नहीं है, तो जमीन के एक टुकड़े पर बसे होने और एक झंडे को जिंदाबाद कहने के बावजूद हम लोगों का एक राष्ट्र बनना अभी बाकी है। राष्ट्र बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अतीत की कड़वाहट को भूलना सीखें। अमूमन किसी भी बड़े राष्ट्र के निर्माण के क्रम में कई अप्रिय घटनाएं होती हैं, जिनमें कई की शक्ल हिंसक होती हैं और वे स्मृतियां लोगों में साझापन पैदा करने में बाधक होती हैं।

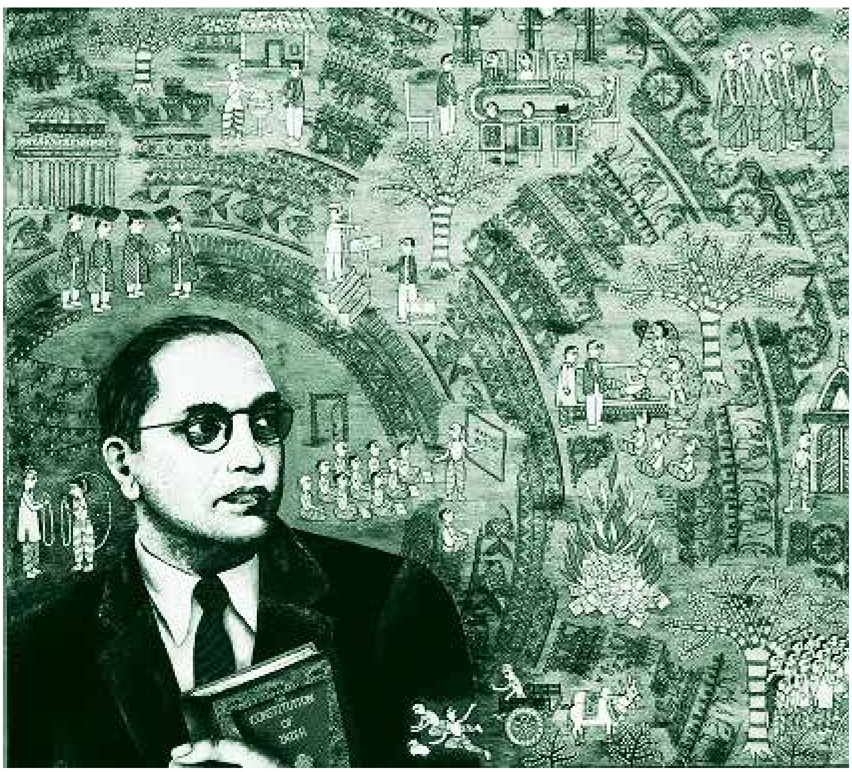

राष्ट्र जब लोगों की सामूहिक चेतना में है, तभी राष्ट्र है। बाबासाहेब चाहते थे कि भारत के लोग, तमाम अन्य पहचानों से ऊपर, खुद को सिर्फ भारतीय मानें। राष्ट्रीय एकता ऐसे स्थापित होगी। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र संबंधी विचारों को दोबारा पढ़े जाने और उसे समझने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

विशेष लेख

डॉ. अम्बेडकर का नारीवादी चिंतन

■ मनोज कुमार गुप्ता

नारी समस्या और अस्मिता का प्रश्न भारत सहित दुनियाभर में चिंता का विषय रहा है। जो वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने है। 20वीं सदी का शुरुआती दौर ऐसा दौर था, जब एक तरफ पश्चिम में महिला मताधिकार को लेकर आंदोलन ज़ोरों पर था तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही थी। परंतु महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी संकीर्णता और शोषण समानांतर चल रहे थे। हालांकि इन कुरीतियों और संकीर्णताओं को समाप्त करने के लिए समाज सुधार आंदोलन भी हुए, पर ये महिला शोषण की तह तक नहीं जा पाये। डॉ. अम्बेडकर संभवत: पहले ऐसे भारतीय सामाजिक चिंतक हुए, जिन्होंने महिलाओं की समस्या को जेंडर दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। डॉ. अम्बेडकर के नारीवादी चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज की सभी महिलाएं थीं। यह अध्ययन अम्बेडकर के नारीवादी चिंतन और महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयासों को उद्धृत करता है।

भारतीय संदर्भ में जब भी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक असमानताओं और उसमें सुधारों के मुद्दे पर चिंतन हो रहा हो तो डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। उनका पूरा जीवन भारतीय समाज की रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर ही केंद्रित रहा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से अनुप्रेरित अपने अहिंसक जन-आंदोलन के द्वारा देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त कराया तो वहीं दूसरी तरफ डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन की लहर के बल बूते हजारों वर्षों से उत्पीड़ित दलित एवं हाशिये के लोगों को स्वाधीनता एवं स्वाभिमान से जोड़ने का महान कार्य किया। "डॉ. अम्बेडकर भारत में एक ऐसे वर्गविहीन समाज की संरचना चाहते थे, जिसमें जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद तथा ऊंच-नीच का भेद न हो और प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।" उनके चिंतन का केंद्र महिलाएं भी थीं क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में महिलाओं पर धार्मिक और सांस्कृतिक आडंबरों के आधार पर शोषण किया जा रहा था।

हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लिए कुछ समाज सुधार आंदोलन हुए, जिनमें बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा आदि मुद्दे प्रमुखता से शामिल थे। लेकिन अम्बेडकर स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक थे, वे महिलाओं को किसी भी रूप में पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे। बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था "नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी

विशेष लेख

भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो अम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने ने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब, यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था, जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेने लगीं थीं।

को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।" डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना चाहते थे। जिससे महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता का हक मिल सके। इस शोध पत्र में डॉ. अम्बेडकर के उन विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे नारीवादी चिंतन के प्रति भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

उद्देश्य- इस शोध आलेख का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर के भारतीय नारीवादी चिंतन के विविध आयामों और प्रयासों का अध्ययन करना है।

भारतीय नारीवादी चिंतक डॉ. अम्बेडकर

भारतीय नारीवादी चिंतन और अम्बेडकर के महिला चिंतन की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं ही थीं। जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। वर्ष 1916 में अम्बेडकर ने मानवविज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डेंविसर द्वारा कोलम्बिया विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. में आयोजित सेमिनार में "कास्ट इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट" शीर्षक से पत्र पढ़ा जो जाति और जेंडर के बीच अंतरसंबंधों की समझ पर आधारित था। भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो अम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब, यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था, जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेने लगीं थीं। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी इसी दौरान उठाए जाने लगे थे और साथ ही महिलाओं ने अपने स्वायत्त संगठन भी बनाने शुरू कर दिये थे।

महिला सशक्तिकरण के बारे में डॉ. अम्बेडकर का विचार अन्य समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या महात्मा गांधी आदि से बिलकुल अलग था, क्योंकि ये लोग धार्मिक परंपराओं और सामाजिक श्रेणीबद्धता में कुछ मूलभूत सुधारों से महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहते थे। जबकि डॉ अम्बेडकर के जीवन का लक्ष्य उस जातीय पदानुक्रम की वैचारिक नींव को चुनौती देना भी था जिसमें हिंदू समाज की महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा से वंचित किया जाता है।" अम्बेडकर के समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब स्थिति में था। उनका मानना था कि शिक्षा त्वरित परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करती है। "डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की आवाज को मुखर करने के लिए वर्ष 1920 में 'मूकनायक' और 1927 में 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की शुरुआत की।" अपने लेखन के माध्यम से बाबासाहब हिंदू समाज में व्याप्त जेंडर असमानता और महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने जैसे मुद्दे को रेखांकित करते थे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से अम्बेडकर ने महिला मुद्दों से जुड़े आंदोलन की शुरुआत की।

द हिंदू समाचार पत्र में राही गायकवाड़ ने अपने लेख नीड फॉर फेमिनिस्ट टू रिक्लेम अम्बेडकर सीन में कहा है की नारीवादी चिंतन को जेंडर और जाति के आधार पर महिलाओं की स्थिति पर बात करते समय एक बार अम्बेडकर के चिंतन को नए रूप में देखने और समझने की जरूरत है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है "कास्ट इज एंडगामी एंड एंडगमी इज कास्ट।" उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार मूल जाति और पुनरुत्पादन जेंडरगत हिंसा पर टिकी है।

महिला आंदोलन और डॉ. अम्बेडकर

20वीं सदी के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति दर्ज होने लगी थी। चाहे वर्ष 1905-08 के दौरान बंगाल में चले स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भूमिका हो या 1909 में लाहौर में हुई औद्योगिक प्रदर्शनी में स्त्रियों द्वारा अपना अलग 'महिला खंड' स्थापित करना (पृ.98,

स्त्री संघर्ष का इतिहास) आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन तीसरे चौथे दशक तक आते-आते राष्ट्रीय आंदोलनों के समानांतर कई अलग-अलग स्वायत्त महिला संगठनों और आंदोलनों की नींव पड़ चुकी थी। सभी का केंद्रीय प्रश्न महिलाओं की समस्याएं ही थीं।

भारतीय महिला आंदोलन की बात करते समय भारत की पहली शिक्षा नेत्री और अध्यापिका सावित्रीबाई फुले का जिक्र करना बहुत ही आवश्यक है। महिला आंदोलन के बीजारोपण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। "भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए उन्होने 1852 में 'महिला मंडल' का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ भी बन गई।" इस संगठन ने बाल विवाह, विधवा स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के विरोध में स्त्रियों को तथा अन्य समाज को मोर्चाबन्द कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर ने भी महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्त्व एवं समर्थन किया। डॉ. अम्बेडकर ने समाज की प्रगति में महिलाओं के महत्त्व को समझते हुए कहा है- "मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।" दलित महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी उन्हें जेंडर के साथ-साथ जाति आधारित शोषण का भी सामना करना पड़ता था। इसीलिए अम्बेडकर ने सवर्ण महिलाओं की समस्याओं के साथ-साथ दलित महिलाओं के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया।

अम्बेडकर ने अपने अछूतोद्धार आंदोलन का आरंभ "20 जुलाई 1924 को मुंबई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना से किया" इस सभा में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के साथ-साथ दलित बस्तियों में स्कूल और छात्रावास की स्थापना करना था। इस सभा में दलित महिलाएं भी शामिल हो रही थीं जो अब तक साहस बटोरकर मंच पर आकर अपने शोषण और पीड़ा को सार्वजनिक रूप से बतलाने लगीं थीं। वर्ष 1927 में अम्बेडकर के नेतृत्त्व में महाड़ में चावदार तालाब के पानी को दलितों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के विरोध में सैकड़ों दलित महिलाओं ने विशाल सत्याग्रह में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 25 दिसंबर, वर्ष 1927 को महाड़ के ऐतिहासिक सम्मेलन में हजारों महिलाओं के साथ डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को नरकीय जीवन में धकेलने वाली मनुस्मृति को जलाकर महिलाओं में क्रांति का बिगुल बजाया।" अम्बेडकर की धर्म पत्नी रामाबाई अम्बेडकर की अध्यक्षता में वर्ष 1928 में मुंबई में महिला मण्डल की स्थापना हुई। 1942 में नागपुर में अम्बेडकर द्वारा 'अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट' की स्थापना की गयी और उसी वर्ष सुलोचना डोंगरे की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें लगभग दस हजार महिलाओं ने भाग लिया। (दलित महिलाएं, पृ. 144)। यह आयोजन बहुत सफल रहा। इन आयोजनों और संगठनों ने अम्बेडकर जी के आंदोलन में अपना अमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जिसकी सराहना अम्बेडकर ने की। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि महिला आंदोलनों को बढ़ाने में अम्बेडकर का सराहनीय योगदान रहा। अम्बेडकर के उत्तरोत्तर बढ़ते सामाजिक संघर्ष के साथ ही महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ रही थी।

वर्ष 1927 में ए.आई.डब्ल्यू.सी. का गठन हुआ। यह संगठन 19वीं सदी के

“नारी समता और अधिकार के प्रश्न पर उनका रुख समाजवादी कहा जा सकता है। अम्बेडकर के चिंतन में हर वर्ग की स्त्रियों की भलाई की बात शामिल थी। उनके मुताबिक स्त्री की दशा एवं उसके अस्तित्व का प्रश्न जाति, धर्म के बंधन से परे था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की दशा एक समान है।”

समाज सुधार आंदोलनों की सुधारवादी धारा से उपजा था। जो थोड़े ही समय में उच्च वर्गीय एवं उच्च वर्णीय महिलाओं का प्रतिनिधि संगठन बन गया। “वर्ष 1945 तक ए.आई.डब्ल्यू.सी. ने ‘भारतीय महिलाओं के अधिकार का घोषणा पत्र’ सूत्रबद्ध किया” घोषणा के माध्यम से निजी सुधार के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह, बच्चों पर समान अभिभावकत्व जैसे सुधारात्मक घोषणाओं के द्वारा ठोस बनाया गया था।

परंतु ये सभी मांगे पितृसत्तात्मक हिंदूवादी परंपरा के परस्पर विरोधी थीं। इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसने ए.आई.डब्ल्यू.सी. की महिलाओं को कांग्रेस की आंतरिक एवं बाह्य पुनुरुत्थानवादी ब्राह्मणों के सामने ला दिया। यद्यपि 1940 में अम्बेडकर कमेटी द्वारा प्रस्तावित हिंदू संहिता विधेयक (हिंदू कोड बिल) के समर्थन में ए.आई.डब्ल्यू.सी. की महिलाओं ने व्यापक अभियान चलाया जिसका तथाकथित राष्ट्रवादी नेताओं और ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक ताकतों द्वारा कड़ा विरोध किया गया।

अम्बेडकर चिंतन में नारी समता

लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर और संविधान निर्माता के रूप में उनका योगदान स्मरणीय है। उनकी दूरदर्शिता पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता क्रांति के अतिवाद और सामाजिक आतंकवाद को मूल रूप से नष्ट कर सकती है। स्त्रियों, अछूतों एवं समाज के अन्य वंचित लोगों की शिक्षा और समानता को लेकर उनकी चिंताएं आज भी उतनी ही विचारणीय लगती हैं। नारी समता और अधिकार के प्रश्न पर उनका रुख समाजवादी कहा जा सकता है। अम्बेडकर के चिंतन में हर वर्ग की स्त्रियों की भलाई की बात शामिल थी। उनके मुताबिक स्त्री की दशा एवं उसके अस्तित्व का प्रश्न जाति, धर्म के बंधन से परे था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की दशा एक समान है। वर्ष 1942 को नागपुर में हुई डिप्रेस्ड क्लासेस वूमैन कांफ्रेंस में बतौर विशेष अतिथि डॉ. अम्बेडकर ने इसे संबोधित करते हुए कहा था “यदि महिलाएं आश्वस्त हो जाएं तो वे भारतीय समाज की दशा सुधार सकती हैं। मैं इसका साक्ष्य स्वयं अपने अनुभव से दूंगा। इसी आशय से मैं महिलाओं के प्रश्न पुरुषों के बीच उठाने जा रहा हूं। मुझे खुशी होगी जब मैं असेंबली में स्त्री-पुरुष दोनों को समान प्रगति करते देखूंगा। वही प्रगति हमारी सच्ची प्रगति होगी।” इन बातों से साफ संकेत मिलता है कि वास्तव में वे स्त्री-पुरुष समानता से ही राष्ट्र और समाज के विकास एवं उत्थान का सपना देखते थे। बहिष्कृत भारत में डॉ. आंबेडकर ने अपनी नारीवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हुए हिंदू धर्म में महिलाओं कि स्थिति पर बड़े ही उग्र रूप में कहा था “हिंदू लोग देवताओं के बाद स्त्री को पूजनीय मानते हैं, पर अस्पृश्य बहनों को बेइज्जत करके उन्होंने क्या किया? ‘गाय’ की आत्मा मानते हैं लेकिन स्त्री में भी आत्मा है ऐसा क्यों नहीं सोचते। स्त्री उनके भोग और आनंद की वस्तु भर क्यों है? इसलिए उसे वस्त्राभूषणों, शृंगार सौंदर्य से तैयार किया जाता है। या फिर वह घर की लक्ष्मी है।” यह बातें स्पष्ट संकेत देती हैं कि अम्बेडकर के चिंतन में नारी प्रश्न सर्वोपरि था।

वैधानिक अधिकार और समानता

डॉ. अम्बेडकर मुख्यत: भारतीय हिंदू महिलाओं जिसमें सवर्ण एवं दलित दोनों शामिल थीं की समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं वैधानिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। वे नारी उत्थान को समग्रता में देखते थे। साथ ही वे राष्ट्रीय एकता को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं स्त्री-पुरुष से जोड़कर नहीं देखते थे। उनके इस दर्शन का प्रभाव भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में दिखाता है। भारतीय संविधान में व्यक्ति एक इकाई है तथा उसके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की स्वतंत्रता को संविधान में मूलभूत अधिकारों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वे महिलाओं की हर समस्या से परिचित थे और उसका निदान करना चाहते थे। 28 जुलाई 1928 मुंबई विधान परिषद में कारख़ाना एवं अन्य संस्थाओं में मजदूर

महिलाओं को प्रसूति अवकाश संबंधी बिल पर अपना विचार रखते हुए कहा था– “महिलाओं को प्रसूति अवकाश सुविधा प्रदान करना राष्ट्रीय हित में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे शासन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उनके वेतन कटौती का पक्षधर नहीं हूं। यह महिलाओं का उनका अपना अधिकार है, जिसकी प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए।” उनके इस विचार से सदन प्रभावित हुआ और प्रसूति अवकाश बिल पारित हुआ। हिंदू कोड बिल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का बेहद महत्त्वपूर्ण विधेयक साबित हुआ, जो अम्बेडकर के योगदान का ही परिणाम है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी नागरिकों (स्त्री–पुरुष) को बिना किसी प्रकार के भेदभाव मौलिक अधिकार, समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयास में डॉ. अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लगे रहे। अम्बेडकर समतामूलक समाज की कल्पना करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो, वे अपने सामाजिक चिंतन और कार्यो का परिणाम एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते थे जहां जाति, धर्म, लिंग एवं वर्ग किसी भी स्तर पर असमानता न हो। सबको समान न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय समाज में महिलाओं कि स्थिति को लेकर भी वे बहुत चिंतित थे। महिला प्रश्नों को बहुत ही गहराई से समझते हुए अम्बेडकर ने पाया कि महिलाओं के शोषण और सामाजिक असमानता में जाति और धर्म के साथ–साथ जेंडर प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए महिला हितों में उनके द्वारा किया गया कार्य मात्र सुधारात्मक ही नहीं रहा बल्कि उन्होंने सैद्धांतिक एवं वैधानिक स्तर पर महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता दिलवाने का प्रयास किया। इसे उनके प्रयासों का विस्तार ही कहा जा सकता है कि आज स्त्रियों को शिक्षा, व्यवसाय, जीवन साथी चुनने के साथ–साथ राजनैतिक सहभागिता और प्रतिनिधितत्व का अधिकार प्राप्त है। इन संदर्भो से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर का भारतीय नारीवादी चिंतन में विशेष योगदान रहा है।

संदर्भ सूची–

– डॉ. जोशी, गोपा, (2006), भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली वि.वि., नई दिल्ली

– डॉ. आंबेडकर, बी.आर., डॉ. अज्ञात, सुरेन्द्र (अनु.), (2012), प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

– डॉ. सुमन, मंजू, (2013), दलित महिलाएं, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

– प्रो. शुक्ला, आशा – त्रिपाठी, कुसुम, (2014), स्त्री संघर्ष के मुद्दे (भारतीय एवं पाश्चात्य संदर्भ), महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्ला वि.वि., भोपाल

– डॉ. मित्तल, सतीश चन्द्र, (2012)। भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास (1758ई. –1947 ई.), हरियाणा ग्रंथ अकादमी, पंचकूला

– Barnwal, Bijay K., Dr. B. R. Ambedkar's Quest for Gender Equality It's Relevance in Contemporary Feminist Discourse_ (Online International Interdisciplinary Research Journal] {Bi&Monthly}] ISSN2249&9598] Volume&IV] Issue&II] Mar&Apr 2014)

पुस्तक

जीवन चरित - पच्चीसवीं किस्त **मजदूर मंत्री**

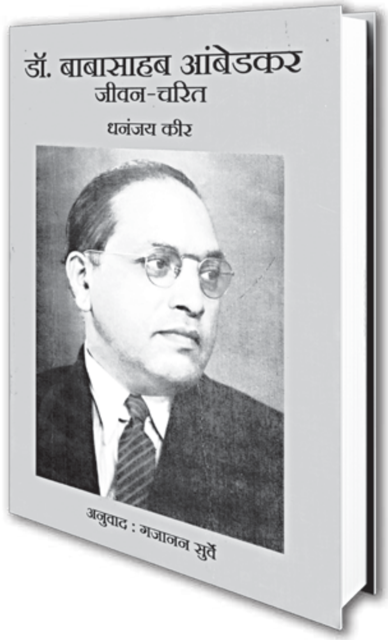

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर–जीवन चरित

■ धनंजय कीर

“अम्बेडकर मजदूर कल्याण के लिए लगे हुए थे। मजदूरों के सद्गुण और दुर्गुण, उनकी जरूरतें और दुःख उन्हें मालूम थे। मजदूर-समिति की स्थायी समिति सर फेरोजखान नून के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। उसमें मजदूर, सरकार और मालिक इन सबके प्रतिनिधि थे। उस समिति की बैठक बंबई के सचिवालय में 7 मई, 1943 को मजदूर मंत्री डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई।”

पूर्व तैयारी न करते हुए और स्पष्ट आदेश न देते हुए कांग्रेस द्वारा शुरू की हुई अगस्त क्रांति कुछ सप्ताह दंगे, विद्रोह, तोड़फोड़ और विध्वंस कर आखिर शांत हो गई। इस तरह का उस क्रांतियुद्ध का अंत देखकर आगाखान महल में स्थानबद्ध हुए गांधी जी ने 21 दिन का अनशन 20 फरवरी, 1943 को शुरू किया। अपना एक पक्ष विश्व के सामने रखने और अपनी मुक्ति कराने के लिए गांधी जी ने यह दांव फेंका था। उस अनशन से देश में घबराहट पैदा हो गई। 'गांधी जी को मुक्त करो के शोर से आसमान गूंज उठा। महाराज्यपाल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य इस्तीफे दें, इसके लिए उन पर दबाव डाला गया। सदस्यों में से डॉ. अम्बेडकर और हिंदू महासभा के जे.पी. श्रीवास्तव अविचालित रहे। माधवराव अणे, होमी मोदी और नृपेन्द्रनाथ सरकार कर रहे गांधीजी के मुख पर हंसी झलक गयी। इस्तीफा न देने से अम्बेडकर की इज्जत या लोकप्रियता में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद सर चिमनलाल सेटलवाड़ ने अम्बेडकर जयंती के दिन भाषण देते हुए कहा कि 'अम्बेडकर अभिजात बुद्धिमत्ता, दीर्घोद्योग और धीरज के एक अलौकिक प्रतीक है।'

अम्बेडकर मजदूर कल्याण के लिए लगे हुए थे। मजदूरों के सदगुण और दुर्गुण, उनकी जरूरतें और दुःख उन्हें मालूम थे। मजदूर–समिति की स्थायी समिति सर फेरोजखान नून के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। उसमें मजदूर, सरकार और मालिक इन सबके प्रतिनिधि थे। उस समिति की बैठक बंबई के सचिवालय में 7 मई, 1943 को मजदूर मंत्री डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई। उस समय एक महत्व की समस्या विचार–विमर्श के लिए

'महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स बंबई' नामक संस्था में अम्बेडकर का भाषण हुआ वहां उन्होंने कहा, 'अब विश्व युद्ध से ऊब गया है। वह तीन रोगों से व्याधित्रस्त बन गया है। पहली बीमारी यानी एक देश का दूसरे देश पर साम्राज्य। दूसरी बीमारी यानी काले-गोरे का संघर्ष। इसे किसी न किसी मार्ग से तुरंत ही दूर किया जाना चाहिए।

रखी गयी थी। वह समस्या यानी कम से कम युद्ध सामग्री बनाने का काम करने वाले कारखानों में एक संयुक्त मजदूर-नियामक समिति नियुक्त करना। इस तरह की समितिया। अमरीकी संयुक्त राज्यों और ब्रिटेन में विद्यमान थी। दूसरी महत्व की समस्या यानी सेवा योजना कार्यालय की (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज) स्थापना करना। मजदूरों के कल्याण की दृष्टि से इसकी आवश्यकता थी। वह सेवा योजना कार्यालय स्थापित करने का प्रधान उद्देश्य यह था कि उस समय जो अनुभवी और अर्धशिक्षित तंत्र अलग-अलग योजनाओं में से तैयार हो रहे थे, उन्हें नौकरी के लिए भटकना न पड़े और उन्हें नौकरी प्राप्त करने के मार्ग खुले रहें।

10 मई, 1943 को 'इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर' संस्था की बंबई शाखा ने मजदूर मंत्री डा. अम्बेडकर के सम्मानार्थ चाय-पान का समारोह आयोजित किया। उस समय अपने भाषण में मजदूर संघटना का ध्येय और उसके विभाजित बल के संबंध में मजदूर-मंत्री महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने मजदूर आंदोलन में जो फूट निर्माण हुई थी, उस संबंध में नापसंदगी व्यक्त की। उन्होंने यह अभिप्राय व्यक्त किया कि उस फूट से मजदूर आंदोलन थोथा और उथला बन गया है। इसलिए उन्होंने कामगार नेताओं को आस्थापूर्वक यह आह्वान किया कि वे मजदूर आंदोलन के दोष दूर करें। अपने भाषण के अंत में मजदूर मंत्री ने कहा, 'मेरा स्पष्ट मत यह है कि, भारत में मजदूर, मजदूर-मंत्रिमंडल स्थापित करने का प्रयास करें। भारत स्वतंत्र हो यही बात काफी नहीं है। वह स्वतंत्रता किन लोगों के हाथ में आती है, उसका महत्व है।'

उसी दिन 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स बंबई' नामक संस्था में अम्बेडकर का भाषण हुआ वहां उन्होंने कहा, 'अब विश्व युद्ध से ऊब गया है। वह तीन रोगों से व्याधित्रस्त बन गया है। पहली बीमारी यानी एक देश का दूसरे देश पर साम्राज्य। दूसरी बीमारी यानी काले-गोरे का संघर्ष। इसे किसी न किसी मार्ग से तुरंत ही दूर किया जाना चाहिए। वह समस्या हल होने से इसके आगे शांति को खतरा पैदा नहीं होगा। तीसरी बीमारी यानी दरिद्रता राष्ट्र-राष्ट्र में समान परिस्थिति पैदा करना यानी दुर्बल राष्ट्र सबल बनाना है।' अंग्रेज और अन्य यूरोपियन राष्ट्र के प्रतिनिधि पेशवाओं के सम्मुख कैसे घुटने टेकते थे, उसकी याद दिलाकर उन्होंने आगे कहा, 'पश्चिमी राष्ट्र पूर्वी राष्ट्रों की ओर उदंडता की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण उनका आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बढ़ जायेगी। तब साम्राज्यवाद और काले गोरे के वाद मिट जायेंगे।'

दरिद्रता की समस्या का उल्लेख करते हुए अम्बेडकर ने कहा, 'मानव संस्कृति का विनाश करने के लिए आसमान छूने जैसा प्रचंड खर्च राष्ट्र हर रोज कर रहे हैं। ब्रिटेन युद्ध के लिए हर रोज 14 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है और भारत कम खर्च कर रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसे राष्ट्र शांति के समय इसमें से आधा भी खर्च दरिद्रता का उन्मूलन करने के लिए और दरिद्रता में छीज रही मानवजाति की स्थिति सुधारने के लिए क्यों नहीं करते, यह मेरी समझ में नहीं आता। विश्व का दुःख दूर करने के लिए विश्व में कुछ न कुछ सुधार करना आवश्यक है। छाती से लगाये कुछ अधिकारों का त्याग किया जाना चाहिए।'

इस समय राजनीतिक समस्या हल करने की दृष्टि से अम्बेडकर ने देश के सम्मुख एक योजना प्रस्तुत की थी। उस पर समाचार-पत्र अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उस योजना में अम्बेडकर ने यह कहा था कि, ब्रिटिश लोकसभा एक कानून मंजूर करके प्रांतों की सरहद तय करने वाली एक समिति नियुक्त करे और दो बार सर्वमत लिया जाए। पहले सर्वमत से मुस्लिम-इतर लोग नियोजित पाकिस्तान में रहना है या नहीं इस संबंध में निर्णय करें। अगर मुस्लिम-इतर लोगों ने उस पाकिस्तान में निवास करना तय किया तो प्रांतों के मध्य सीमा रेखाएं जैसी हैं वैसी ही रखी जाएं। अगर उन लोगों ने पाकिस्तान का विरोध किया तो एक 'सरहद समिति' नियुक्त करके कौन से प्रदेशों में मुसलमान बहुसंख्य है, तय किया जाए और दो साल बाद मुसलमानों को पाकिस्तान या नहीं, इसका फैसला किया जाए।

त्रिपक्ष मजदूर परिषद का दूसरा अधिवेशन मजदूर-मंत्री डा. अम्बेडकर

की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 6 और 7 सितंबर, 1943 को संपन्न हुआ। अपने जोरदार भाषण में उन्होंने अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, सांस्कृतिक और आरोग्यविषयक साधन आदि के बारे मं मजदूरों की मांगे प्रस्तुत की। एक प्रस्ताव के अनुसार यह तय किया गया कि, मजदूरों की तनख्वाह और आय के बारे में संशोधन करने और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करा देने की दृष्टि से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए।

उसी महीने में डा. अम्बेडकर ने ऑस्ट्रेलियन कूटनीतिज्ञ कर्टिन द्वारा सूचित किये गये 'ब्रिटिश साम्राज्य विषयक विचार-विनिमय मंडल' के बारे में एक मुलाकात में अपना मत व्यक्त किया। औपनिवेशिक स्वराज्य भुगतने वाले देशों द्वारा ऐसा करना उनके ही हित का होगा कि 'औपनिवेशिक राज्य' में हिन्दुस्तान स्वेच्छा से साझीदार के रूप में रहे। तथापि, अम्बेडकर ने और यह जाहिर किया कि, हिन्दुस्तान को साम्राज्य के बोर में रत्ती भर भी आस्था नहीं रही है, क्योंकि वह साम्राज्य भारतीय लोगों को अपनी प्रजा मानता है अपने बराबरी के दर्जे के नागरिक के रूप में उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं।

अक्टूबर 1943 में प्यारेलाल कुरील तालीब नामक संयुक्त प्रांत के संसद सदस्य द्वारा अस्पृश्य वर्ग के सैनिकों को सेना में पदोन्नति पाने के लिए लगायी गई शर्तों को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सम्मत हुआ।

अम्बेडकर ने केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधान परिषद में अस्पृश्य प्रतिनिधियों की संख्या में सरकार से जो वृद्धि करा दी, उस संबंध में उन्हें संतोष हो रहा था। अधिकार ग्रहण करने से आज तक दलित वर्ग की उन्नति के लिए अम्बेडकर क्या कर सकें, इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने नवंबर 1943 में दिल्ली में अस्पृश्य समाज के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक आयोजित की। उन्होंने यह निवेदित किया कि सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य वर्ग के लिए 8 सही एक बटे तीन आरक्षित जगहें, दलित वर्ग के छात्रों के लिए लंदन में तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ आरक्षित जगहें, केंद्रीय विधानमंडल में एक ज्यादा सदस्य की जगह आदि बातें दलित वर्ग के लिए उन्होंने अर्जित की है।

दलित वर्ग के लिए निश्चित जगहें सरकारी नौकरी में आरक्षित कर लेने के बारे में अम्बेडकर ने क्यों आग्रह पकड़ लिया, इसके कारण ध्यान में रखने योग्य है। अगर अस्पृश्य हिन्दुओं की सरकारी नौकरी में प्रबलता होती, तो अस्पृश्य वर्ग पर हो रहे जुल्म को स्थायी रूप नहीं प्राप्त होता। दूसरा कारण यह कि दलित वर्ग के लोगों के सरकारी सेवा में रहने पर अस्पृश्य समाज को न्याय दिलवाने की दृष्टि से अधिक उन्नति करना संभव था। साथ ही उनके आर्थिक स्तर में कुछ प्रगति हो सकती है।

दलित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में लाने का अम्बेडकर का रवैया स्वार्थ परायणता में सने हुए लोगों की आंखों में चुभने लगा था। अम्बेडकर ने तुरंत उत्तर दिया, 'अगर ऐसा है, तो तुम मद्रासी लोग यहां नब्बे प्रतिशत नौकरियों को छोड़ कर क्यों बैठे हो? नौकरियों के प्रति तुम्हारे मन में इतना तिरस्कार है, तो तुम इन नौकरियों को छोड़ कर क्यों नहीं चले जाते?

लखनऊ में 26 जनवरी 1944 को मजदूर स्थायी समिति की एक बैठक हुई। मजदूर मंत्री डॉ. अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान विभूषित किया। लखनऊ से 26 जनवरी शैड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के अधिवेशन के लिए वे कानपुर गये। अधिवेशन 29 जनवरी को संपन्न हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष एन. शिवराज ने अपने भाषण में कहा दलित वर्ग समानांतर के खिलाफ नहीं। तथापि, दलित वर्ग के नागपुर अधिवेशन में जो मांगे की गयी है, उनपर विचार हो, यही इच्छा है।'

उस प्रचंड जनसमूह के सामने भाषण करते समय अम्बेडकर ने कहा, 'हिन्दुस्तान की सरकार चलाने में हिंदू, मुसलमान और दलित वर्ग के लोगों को उसमें भागीदार होना ही चाहिए। हिन्दुस्तान का राजकाज चलाने में अगर दलित वर्ग को उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लोग उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करेंगे।' उन्होंने बड़ी आस्था से यह उपदेश किया, सरकार ने तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए जो सुविधाएं देना तय किया है उनका अस्पृश्य छात्र पूरा लाभ उठायें। वे यह ध्यान में रखें कि अस्पृश्य वर्ग के पुराने नेताओं ने समाज की सेवा अचल धैर्य, अदम्य उत्साह और अटल श्रद्धा से की है। उन्होंने युवकों को

अम्बेडकर को यह देखकर अफसोस हुआ कि गांधी जी ने इस भूमिका को स्वीकार करने में इतना समय गंवाया। कांग्रेस नेताओं को एक कोहनी मार के उन्होंने कहा, 'गांधीजी पाकिस्तान योजना का विरोध करते हैं, यह समझकर बेचारों ने पाकिस्तान योजना का विरोध किया। लेकिन उनकी फजीहत हो गई है।'

इशारा किया कि उनके कार्य के बारे में गलतफहमी न पाली जाए।

मजदूरों के कल्याण की दृष्टि से अम्बेडकर ने एक और सुधार किया। उन्होंने केन्द्रीय विधानसभा में एक विधेयक पारित करा लिया। उस विधेयक में एक अनुच्छेद यह था कि कारखानों के बारहमासी मजदूरों को उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाए।

इसके बाद थोड़े ही दिनों में शरीर स्वास्थ्य के निमित्त से गांधी जी की आगाखांन महल से मुक्ति हुई। शरीर स्वास्थ्य के लिए गांधी जी पंचगनी गये। वहां राजगोपालाचारी ने यह जाहिर किया कि गांधी जी जब स्थानबद्ध थे तब उन्होंने पसंद की हुई एक योजना मैंने जिन्ना के पास भेजी है। राष्ट्रीय प्रवृत्ति के पत्रकारों ने इस देशद्रोही योजना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं व्यक्त किया। उनके मायूस हुए दिल चुप बैठे थे। प्रगतिकों ने राजा जी की योजना का वर्णन 'देश की सुरक्षा को खतरा' के रूप में किया। वीर सावरकर ने कहा कि राजा जी अकेले ही इस छद्मनाटक के खलपुरूष नहीं हैं।

संविधानपटु की भूमिका की दृष्टि से अम्बेडकर इस घटना की ओर देख रहे थे। उन्होंने राजगोपालाचारी के इस घातक कृत्य का अर्थ यह किया कि राजाजी बुद्धिमत्ता की ओर मुड़े हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 'पैसिफिक रिलेशन' समिति के लिए लिखे प्रबंध में उन्होंने राजगोपालाचारी के कृत्य का धिक्कार किया था। गांधीजी द्वारा पाकिस्तान का तत्व स्वीकार किये जाने पर अम्बेडकर ने उनका अभिनंदन किया। लेकिन उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि, अगर वह योजना गांधी जी ने स्वयं जिन्ना के सामने रखी होती और कोई भी शर्त न लगाई होती, तो अच्छा होता। तथापि जिन्ना ने वह योजना क्यों अस्वीकार की यह स्पष्टतया उनकी समझ में नहीं आया। सार्वमत स्वीकार कर लेने में खतरा था, किन्तु यह नहीं भूला जा सकता कि आखिरी निर्णय जनता के ही हाथ में है, ऐसा अम्बेडकर ने कहा।

अम्बेडकर को यह देखकर अफसोस हुआ कि गांधी जी ने इस भूमिका को स्वीकार करने में इतना समय गंवाया। कांग्रेस नेताओं को एक कोहनी मार के उन्होंने कहा, 'गांधीजी पाकिस्तान योजना का विरोध करते हैं, यह समझकर बेचारों ने पाकिस्तान योजना का विरोध किया। लेकिन उनकी फजीहत हो गई है।' उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हिन्दुओं की माल की कीमत के समाचार पत्र हिन्दू महासभा का गला घोट देंगे।

हिन्दुओं की मालकीय के समाचार पत्रों के बारे अम्बेडकर ने जो भविष्यवाणी व्यक्त की, वह सही निकली। हिन्दू महासभा अखंड भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं का अंतिम आश्रयस्थान था। हिन्दुओं की मालकीयत के समाचार पत्रों ने उनका गला घोंट दिया।

गांधी जी द्वारा जिन्ना के साथ मित्रता का बर्ताव करते ही पाकिस्तान-योजना संबंधी अम्बेडकर का उत्साह पहले जैसा नहीं रहा। अपने 'पाकिस्तान विषयक विचार' ग्रंथ के दूसरे संस्करण में उन्होंने यह कहा कि 'पाकिस्तान की मांग एक जाल है। उससे निर्णय का मार्ग निकलेगा, यह दिखाई नहीं देता।' उस समय की परिस्थिति देखते हुए यह सच लगता है कि वह समस्या अधिक खतरनाक बन गयी थी।

अम्बेडकर को भी गांधी जी के साथ समझौता करने का मोह हुआ। उन्हें लगा कि गांधी जी अब समझौता करने की मनः स्थिति में होंगे। इसलिए उन्होंने गांधीजी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि 'अगर भारतीय राजनीतिक ध्येय साध्य करना है, तो हिंन्दू-मुस्लिम समस्या के निर्णय के साथ-साथ स्पृश्य-अस्पृश्य का निर्णय करना भी आवश्यक है। जिन मुद्दों का निर्णय करना है, वे प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं।' 6 अगस्त के अपने पत्र में गांधी जी ने अम्बेडकर को जवाब दिया कि, 'दलित वर्ग की समस्या धार्मिक और सामाजिक है। मुझे आपके कर्तव्य की पूरी जानकारी है। आप जैसा व्यक्ति अगर मेरा सहयोगी बने तो मुझे प्रसन्नता होगी। तथापि इस महत्व की समस्या के बारे में आपके मतभेद हैं, यह

एक बार बड़ी कीमत देने की वजह से मुझे मालूम हुआ है।' यह पद्धति नयी नहीं है कि मगरूरों को माथे पर चढ़ाना और विनम्र लोगों को लाते मारना। राजनीतिज्ञ गांधी जी इसके अपवाद कैसे रहते?

अगस्त 1944 के अंत में अम्बेडकर कलकत्ता गये। वहां दलित वर्ग की अनेक संस्थाओं ने उन्हें सम्मान पत्र अर्पित किया। उस सम्मान पत्र का उत्तर देते समय उन्होंने कहा, 'नये संविधान के अनुसार हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा। विश्वयुद्ध खत्म होगा। सफलता दृष्टिपथ में है। तथापि आप सब संगठित रहें। महाराज्यपाल ने यह एक अच्छी बात की कि उन्होंने गांधी जी से यह कहा है कि भारत में सत्ता हस्तातंरण होने से पहले हिन्दुओं, मुसलमानों और अस्पृश्यों-तीनों में समझौता होना चाहिए। अगर हिंदूसभा ने हमारी मांगे स्वीकार की, तो हम हिंदू महासभा से मिल जायेंगे, कांग्रेस ने स्वीकार की तो कांग्रेस से।'

कलकत्ता के भाषण का आधार लेकर डॉ. मुंजे ने अम्बेडकर को पत्र लिखकर उनकी शर्तो के बारे में पूछताछ की। लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। परमानंद मुंजे सावरकर निष्ठ हिन्दू महासभा ने अस्पृश्य वर्ग की न्याय मांगों का कभी भी विरोध नहीं किया।

इसके बाद अम्बेडकर निजाम के हैदराबाद शहर पहुंचे। वहां दिये भाषण में उन्होंने बड़े आवेश के साथ कहा, 'अस्पृश्य वर्ग समाज का एक अलग अंग है। भारत की स्वतंत्रता पर उसकी भक्ति अन्यों की अपेक्षा तनिक भी कम नहीं। लेकिन उसे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के साथ अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए।'

हैदराबाद से अम्बेडकर मद्रास गये। वहां तमिलनाडु में दलित वर्ग और ईसाई संस्था ने उन्हें एक निवेदन पेश किया। उससे उन्होंने कहा था कि हमारे दलित वर्ग से ईसा धर्म में प्रवेश करने से हमारी धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति अस्पृश्य वर्ग की भांति ही दयनीय है। उच्च जाति के ईसा पूर्वाश्रमी जाति बंधनों का पालन करने के कारण दलित वर्ग के ईसाईयों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जाति-पांति स्वीकार करने वाली वरिष्ठ ईसाई जाति की खुद की प्रवृत्ति में कुछ सुधार हो, इसके लिए ईसाई धर्मोपदेशक कुछ भी प्रयास नहीं करते। निवेदन के अंत में बेचारे दलित वर्गीय ईसाइयों ने पछताकर कहा कि, 'महाराज हमारे वरिष्ठ ईसाई धर्मभाईयों से हमारा बचाव कीजिए और साथ ही दूसरे समाज से भी हमें सुरक्षा दीजिए।'

मद्रास महानगरपालिका ने अम्बेडकर को 22 सितंबर 1944 को रिपन भवन में सम्मान पत्र अर्पित किया। कांग्रेस दल के सदस्यों ने समारोह का बहिष्कार किया था। उत्तर के रूप में किये भाषण में अम्बेडकर ने कहा, 'हम स्वराज्य, राष्ट्रीय सरकार या स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं। इतिहास यह प्रमाणित नहीं करता कि एक बार प्रौढ़ लोगों के मत के अनुसार लोकतंत्र युक्त सरकार स्थापित कर देने से लोगों के दुःख दूर होंगे। जो वर्ग यह मानता है कि, केवल खुद को ही शिक्षा और समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए और दूसरे वर्ग के लोग पैदा होकर गुलामी में ही मर जाएं, उस वर्ग के हाथ में अगर सत्ता गयी, तो राष्ट्रीय सरकार प्रचलित सरकार की अपेक्षा अच्छी नहीं है, ऐसा कहने की बारी आ जाएगी।'

सायंकाल 'आंध्र चेंबर ऑफ कॉमर्स' संस्था ने उन्हें सम्मान पत्र अर्पित किया। उस सम्मान पत्र में कहा गया था कि, मजदूरों की ओर देखने के सरकारी दृष्टिकोण को अम्बेडकर ने कल्याणकारी मोड़ दिया। उस संबंध में संतोष व्यक्त किया गया। नये रूख का मुख्य उद्देश्य यह था कि मजदूर, मालिक और सरकार इन तीनों वर्गों में एक दूसरे के मतों के बारे में समझदारी बढ़कर समझौते में वृद्धि हो। इस समारोह के तुरंत बाद ही मजदूर-मंत्री के सम्मानार्थ कुमार राजा सर मुथय्या चेट्टियार ने अपने बंगले की हरियाली पर चाय-पान का समारोह आयोजित किया।

दूसरे दिन 'मद्रास सदन मराठा रेलवे' के स्पृश्य वर्गीय और दलित वर्गीय मजदूरों ने मजदूर-मंत्री महोदय को सम्मान पत्र अर्पित किये। दोनों वर्ग के स्पृश्य और अस्पृश्य मजदूर एक सभा में सम्मिलित हुए देखकर हमें प्रसन्नता हुई, सब लोग मजदूरों की दरिद्रता का उन्मूलन करने के लिए एकात्म भाव से खड़े रहे, लेकिन यह ध्यान में रखा जाए कि राजनीतिक सत्ता काबिज करने की बात मजदूर संघ स्थापित करने की अपेक्षा अधिक पहल की है, ऐसा उन्होंने मजदूरों को उपदेश किया।

24 सितंबर 1944 को सुबह मद्रास के 'बुद्धिवादी समाज' की ओर से प्रभात चित्र मंदिर में अम्बेडकर का भाषण

जब अम्बेडकर मद्रास में ही थे तब उनकी जस्टिस दल के नेता रामस्वामी के साथ मद्रास की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। वे मद्रास से एलोरा गये। वहां उन्हें जिला शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन, ईसाई फेडरेशन, वेस्ट गोदावरी जिला बोर्ड और एलोरा नगरपालिका ने सम्मान पत्र अर्पित किए।

हुआ। उस भाषण में अम्बेडकर ने कहा, 'प्राचीन भारतीयों का जितना समृद्व और गतिशील राजनीतिक जीवन था, उतना अन्य किसी भी राष्ट्र के प्राचीन काल में नहीं था। उस समय हिन्दुस्तान क्रांतिकारी देश था। उस क्रांति के सामने फ्रेंच राज्यक्रांति भी तुच्छ मानी जा सकती है। उस संबंध में विशेष महत्व की बात यह कि बौद्व धर्म और ब्राह्मण धर्म में बड़े संघर्ष के बाद ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म के खिलाफ प्रतिकांति का संग्राम शुरू किया। वाद का मूल एक ही था। वह था सत्य का मतलब क्या है? बुद्ध का कहना था, दस इंद्रियों के द्वारा जो कुछ प्रमाणित किया जाता है, वही सत्य है। ब्राह्मणों के मतानुसार जो कुछ वेदों ने कहा, 'वेदों का विशिष्ट भाग कालांतर में घुसेड़ा हुआ है। जिन वेदों में महामूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं भरा हुआ है, उन वेदों पर अतीतकालीन ब्राह्मण जैसे होशियार लोग इतनी बड़ी पवित्रता और अधिकार लाद दें, इस संबंध में मुझे अचरज होता है। हम प्रतिक्रांतिकारियों की पकड़ में जकड़ गये हैं। अगर हमने इससे जल्दी छुटकारा पाने के लिए तुरंत कुछ नहीं किया तो इस देश पर हम बड़ी विपत्ति लाए बिना नहीं रहेंगे।'

दोपहर पी. बालासुब्रमण्यम् मुदलियर ने डॉ. अम्बेडकर से कहा, 'ब्राह्मणेतरों में से अनेक नेता दूसरे दर्जे के ब्राह्मण बने थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म का त्याग नहीं किया। जिस धर्म का उन्होंने मजाक उड़ाया था, उसके ही तत्वों के साथ वे चिपके रहे। ब्राह्मणेत्तर दल को अच्छा नेता चाहिए, अच्छी संघटना चाहिए और साफ विचार प्रणाली चाहिए।' सायंकाल पार्क टाउन के मेमोरियल हॉल में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और दक्षिण हिंदुस्तान बुद्धिष्ट एसोसिएशन ने अम्बेडकर को सम्मान पत्र अर्पित किए। अपने भाषण में अम्बेडकर ने राष्ट्रीय जीवन में जमात के स्थान के बारे में महाराज्यपाल ने जो निर्णय तय किया था, उसका समर्थन किया और श्रीनिवास शास्त्री को मुंहतोड़ उत्तर दिया। श्रीनिवास शास्त्री ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति परिषद में अम्बेडकर की उपस्थिति देश के हित के लिए बाधक होगी। यह मालूम होते ही अम्बेडकर आग बबूला हो गये। उन्होंने कहा, 'मेरे सार्वजनिक जीवन के इतिहास में मेरे हाथों कोई भी कलंकित काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भारत की ओर से बैठने के लिए अपात्र ठहरूं। स्वयं शास्त्री ही ब्रिटिश सरकार के कुलुंगी कुत्ते हैं। अगर शास्त्री ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है या विश्वकीर्ति प्राप्त की है, तो यह ब्रिटिशों द्वारा उन्हें नाचने वाला भांड़ समझ कर नचाने से ही।'

गोलमेज परिषद की कुछ घटनाओं का उल्लेख करके अम्बेडकर ने आगे कहा, 'भारत को अगर किसी ने दगा दिया है तो वह अस्पृश्य वर्ग ने नहीं, बल्कि गांधी, शास्त्री आदि लोगों ने। सच तो अस्पृश्य वर्ग के पास एडवर्ड कार्सन साहब के अनुसार 'गड्ढे में गयी तुम्हारी सुरक्षा' प्रवृत्ति धारण करे ऐसे हजारों कारण होते हुए भी, अस्पृश्यों ने अपने दिल का बड़प्पन दिखा कर स्वराज की मांग का समर्थन किया। यह करते हुए उन्होंने सिर्फ न्याय सुरक्षा की मांग की। ब्राह्मणशाही के अधीन पिछले दो हजार वर्ग अस्पृश्य समाज ने दु:ख भोगा है, फिर भी उन्होंने केवल उचित मांगें करने तक ही देशाभिमान दर्शाया, आखिर में अम्बेडकर ने हिन्दुओं को अपनी प्रवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आह्वान किया और कहा, 'हम समझौता करें और यह समस्या हल करें।'

जब अम्बेडकर मद्रास में ही थे तब उनकी जस्टिस दल के नेता रामस्वामी के साथ मद्रास की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। वे मद्रास से एलोरा गये। वहां उन्हें जिला शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ईसाई फेडरेशन, वेस्ट गोदावरी जिला बोर्ड और एलोरा नगरपालिका ने सम्मान पत्र अर्पित किए।

एलोरा नगरपालिका के सम्मान पत्र का उत्तर देते समय उन्होंने कहा है कि उन्हें मूलत: राजनीतिक दृष्टि ही नहीं है। देश की भवितव्यता साकार होते समय देश के टुकड़े होंगे, ऐसा कांग्रेस के संस्थापकों को स्वप्न में भी नहीं लगा होगा। अल्पसंख्यकों की समस्या का उल्लेख करते हुए अम्बेडकर ने कहा, 'जो भूमिका लिंकन' ने नीग्रो समस्या के बारे में अपनाई थी, वही गांधी जी ने भारतीय अल्पसंख्यकों के बारे में अपनाई है। संघराज्य की एकता की निष्ठा को समर्पित लिंकन ने नीग्रो के वोट उत्तरी राज्यों को प्राप्त हो, इसलिए 1762 में स्वतंत्रता का जाहिरनामा प्रसिद्ध किया। उसी के अनुसार गांधी जी को स्वतंत्र और चातुर्वर्ण्य चाहिए। अगर सर्व दल-सम्मत राज्य संविधान बन पाया, तो गांधी भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप् में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अवश्य मिलें।'

(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित से साभार)

(क्रमश: शेष अगले अंक में)

जानकारी

क्या हैं हमारे मूल अधिकार

मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन।

संविधान के भाग-III में सन्निहित मौलिक अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे – समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।

मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन। मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है।

आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रख-रखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-16 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से

राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, पुरस्कारों जैसे, भारतरत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्राप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, हथियार रखने की स्वतंत्रता, भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, जिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए।

संविधान सभा ने 1948 में अंततः निर्धारित प्रक्रिया शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल कर लिया। परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के

संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, शामिल हैं। इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए में मौलिक अधिकार बनाया गया है।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था। अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा, और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार।

शोषण के खिलाफ अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित हैं, इनमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना जहां कानूनन काम न करने के लिए या पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार है, भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, को इस अनुच्छेद में प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उन्मूलन के लिए नियम प्रदान करने, और बाल श्रमिक को रोजगार देने पर दंड के तथा पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य

तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते हैं। हालांकि, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते। राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 27 की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 पूर्णत: राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वीकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, उन्हें अपनी विरासत का संरक्षण करने और उसे भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हुए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उपाय हैं। अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है, इस प्रकार राज्य को उन पर किसी बाह्य संस्कृति को थोपने से रोकता है। यह राज्य द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है। हालांकि, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा उचित संख्या में सीटों के आरक्षण तथा साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था में उस समुदाय से संबंधिक नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत तक सीटों के आरक्षण के अधीन है।

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य को, वित्तीय सहायता देते समय किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर कि उसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है, भेदभाव करने से रोकता है। हालांकि शब्द अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सवीच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कोई भी समुदाय जिसके सदस्यों की संख्या, जिस राज्य में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार चाहिए, उस राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम हो। इस अधिकार का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही स्थापित की गई शैक्षिक संस्था स्वयं को केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म या भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं रखती, या उस संस्था के अधिसंख्य छात्र संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखते हों। यह अधिकार शैक्षिक मानकों, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, शुल्क संरचना और दी गई सहायता के उपयोग के संबंध में उचित विनियमन लागू करने की राज्य की शक्ति के अधीन है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार के रूप में, अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रदेश (रिट) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 – जो एक मौलिक अधिकार नहीं है – मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रदेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मौलिक अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुति : अरविंद, शोधार्थी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कहानी

मातम

■ डॉ. पूरन सिंह

"बहुत कम लोग ही थे जो इस काम को नहीं करते थे। वे लोग मजदूरी करते, मेहनत करके कमाते, खाई खोदते, ईंटें पाथते, लोगों के घरों में तीज त्यौहार या फिर शादी ब्याह पर रंगरोगन करते थे। इन लोगों को समाज के अन्य लोग अच्छा नहीं मानते थे। इनके जीवन-यापन में विभिन्न तरह की बाधाएं पैदा करते थे। उन्हें नीचा दिखाने की तरकीबें ढूंढते थे। लेकिन ये लोग भी जिद्दी थे, 'चमड़े का काम या जानवरों की खिंचाई हम कतई नहीं करेंगे, चाहे प्राण रहें या जाये।"

तब लगभग हमारे मौहल्ले सभी के घरों में कच्चे चमड़े का काम होता था। लोग कच्चे चमड़े के जूते बनाते थे। कुछ लोग मरे हुए जानवरों की खाल उतारते थे और उन्हें उस घर से जहां वह जानवर मरा होता था वहां से खींचकर पीछे वाले खेतों में लाते थे। कितने ही लोग मरे हुए जानवरों की खाल को पकाते भी थे फिर उससे कच्चा चमड़ा बनाया जाता था। ऐसे लोगों को आप आसानी से पहचान सकते थे क्योंकि इनके नाखून हमेशा लाल होते थे। इन लोगों के पास धन-सम्पदा की कमी नहीं होती थी। इनकी औरतों पर सोने, चांदी के आभूषण भी होते थे जिन्हें वे तीज त्यौहारों पर पहनती थीं। कुछ ऐसे भी थे जो जितना कमाते थे उससे कहीं ज्यादा दारू में खर्च करते थे या फिर चोरी छिपे जुआं खेलते थे या सट्टा लगाते थे। कभी-कभी पुलिस भी पकड़कर ले जाती थी उन्हें और उनकी कमाई का काफी हिस्सा लेकर ही छोड़ती थी।

बहुत कम लोग ही थे जो इस काम को नहीं करते थे। वे लोग मजदूरी करते, मेहनत करके कमाते, खाई खोदते, ईटें पाथते, लोगों के घरों में तीज त्यौहार या फिर शादी ब्याह पर रंगरोगन करते थे। इन लोगों को समाज के अन्य लोग अच्छा नहीं मानते थे। इनके जीवन-यापन में विभिन्न तरह की बाधाएं पैदा करते थे। उन्हें नीचा दिखाने की तरकीबें ढूंढते थे। लेकिन ये लोग भी जिद्दी थे, 'चमड़े का काम या जानवरों की खिंचाई हम कतई नहीं करेंगे, चाहे प्राण रहें या जायें।'

होली-दिवाली या अन्य त्यौहारों पर भी हिन्दुओं के त्यौहारों की तरह ही उत्सव मनाए जाते थे। होली पर होलिका दहन होता था। खूब ऊंची होली रखी जाती थी जिस पर कई क्विंटल लकड़ियां स्वाहा हो जाती थीं। लोग एक दूसरे पर रंग डालते और खूब नाचते गाते। उस दिन खूब शराब पीते और आपस में लड़ते झगड़ते थे। बाद में नशा उतरने पर गले में बाहें डाले घूमते भी दिखाई देते थे।

अच्छे-अच्छे कपड़े बनवाये जाते थे जिन्हें पहनकर सभी लोग एक दूसरे के घर पर जाते और आपस में गले मिलते थे। बच्चे, बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते। आपस में खूब खुशियां मनाई जाती थीं। दिवाली पर भी

इसी तरह का उत्सव मनाया जाता था। खूब पटाखे चलाए जाते।

दीपकों का यह उत्सव एक दूसरे को खुशियां बांटने से शुरू होकर रात में जुआं खेलने से ही समाप्त होता। दिवाली वाले दिन खूब अच्छा खाना पकाया जाता और लोग खूब शराब भी पीते थे। रात में महिलाएं अपने घरों से दीपक ले जाकर दूसरों के घरों में रखतीं और खील-बतासे बांटती थीं और इस तरह से खुशियों का आदान-प्रदान हुआ करता। बहुत अच्छा लगता था।

भगवान कृष्ण के जन्म दिन अर्थात् जन्माष्टमी पर लोग अपने-अपने घरों में भगवान कृष्ण की चित्रकारी करके दीवारों पर उनके चित्र बनाते। लड़कियां और महिलाएं व्रत रखतीं और दीवार पर बने भगवान कृष्ण के चित्र के मुंह पर भोग लगातीं। पूरे मौहल्ले में भगवान कृष्ण की झांकियां सजायी जाती थीं।

ये सब काम मेरे घर में भी होते थे। पिता दारू नहीं पीते थे। जुआं नहीं खेलते थे लेकिन घर में भगवान शंकर का फोटो था जो शीशे में जड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण का फोटो भी था। फोटो में गाय माता थी और उनके साथ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते दिखाई देते थे। उसी चित्र पर लिखा था, 'गाय हमारी माता है यह देश धरम का नाता है।'

घर में बच्चे पैदा होते तो पंडित जी के पास ही उनके नामकरण और छठी आदि के बारे में पूछने जाया जाता था। पण्डित जी का नाम जिन्ना था। मैं यह नहीं समझ पाता था कि पण्डितजी तो ब्राह्मण हैं फिर उनका नाम मुसलमानों के नाम पर जिन्ना क्यों रखा गया। खैर होगी कोई इसकी भी कहानी मुझे क्या लेना। जिन्ना ब्राह्मण होने के साथ -साथ सहृदय भी थे। हमारे मौहल्ले के लोग जब अपने बच्चों के नामकरण के लिए उनके पास जाते तो वे पहला सवाल यही पूछते थे, 'कौन जाति के हो।'

'साब जाटवान मुहल्ला में रहते हैं।'

'अच्छा।'

'बच्चा, लड़का है या लड़की।'

'लड़का'

'कौन से दिन पैदा हुआ।'

'दीवाली को।'

'तो ठीक है उसका नाम दिवारीलाल ठीक रहेगा।'

यदि बच्चा सोमवार को पैदा हुआ तो सोमा, मंगल को पैदा हुआ तो मंगली या फिर चैत में हुआ तो चैतुआ, भादों में हुआ तो भदई आदि नाम पण्डित जी रखते थे जिसे हमारे मौहल्ले के लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते थे।

पण्डित जी का दिया हुआ नाम ही अंतिम होता था जिसे लोग अमृतवाणी समझ कर स्वीकार कर लेते। कुछ पढ़े-लिखे लोग थोड़ा सा संशोधन भी कर लेते थे जैसे जिन्ना पण्डित जी ने किसी का नाम प्रकासी रख दिया तो वे उसे थोड़ा सा संशोधित करके प्रकाश कर देते थे।

फिर भी, जिन्ना पण्डित जी हमारी जाति के लोगों के नाम रखने में इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि वे नाम अपमानजनक और तिरस्कार से भरे हों ताकि आसानी से जाना जा सके कि वह व्यक्ति समाज में निचले पायदान पर है।

एक काम और भी होता था। लोग तीज-त्यौहारों पर हवन कराते थे। हवन करते समय लोगों पर देवी आ जाती। बड़ा मजा आता था। एक आदमी औरत की भाषा में भयानक तरह से बोलता। फिर दूसरा आदमी जो भगत टाइप का धूर्त और लुच्चा व्यक्ति होता वह देवी को शांत करता। उस अवसर पर शराब और बकरे का मीट चढ़ाया जाता था हवन कुंड में।

मौहल्ले में एक ही जाति के लोग रहते थे। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस मौहल्ले का नाम चमट्टोला था। बाद में कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने इसका नाम बदलकर जाटवान कर दिया अर्थात् चमार का संशोधित रूप जाटवान।

मैं जब पैदा हुआ तब इस मौहल्ले का नाम जाटवान था जिसे बाद में और परिष्कृत करके भीमनगर कर दिया गया। भीमनगर नाम महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था जो आज तक चल रहा है।

हमारे मौहल्ले के साथ ही जुड़ा हुआ वाल्मीकियों का भी मुहल्ला था जिसे 'भंगियों का मोहल्ला' कहते थे बाद में उसका भी परिष्कृत रूप हुआ और उसे अब वाल्मीकि बस्ती कहा जाने लगा। हालांकि उन्हें कहा भी था भीमनगर मौहल्ले के लोगों ने कि आप

मैं जब पैदा हुआ तब इस मौहल्ले का नाम जाटवान था जिसे बाद में और परिष्कृत करके भीमनगर कर दिया गया। भीमनगर नाम महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था जो आज तक चल रहा है।

वाल्मीकियों के घरों और जाटवों के घरों से ही सटी हुई एक और बस्ती थी मुसलमानों की और वैसे भी आप यदि गहनता से अध्ययन करेंगे तो जहां भंगी होंगे वहीं चमार होंगे और उनके साथ ही मुसलमान भी होंगे। यह सवर्ण समाज की व्यवस्था है। यहां यह भी बताऊं कि मुसलमान वैसे तो चमारों-भंगियों से मेल रखते हैं लेकिन एक दो मसले ऐसे हैं जहां वे भी हमें भंगी और चमार ही समझते हैं ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण और शेष हिन्दू समझते हैं। तब स्थिति सांप नाथ या नाग नाथ वाली हो जाती है।

भी इसे वाल्मीकि बस्ती न कहकर भीमनगर ही कहें तो उनका तर्क था हम आपके बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं गांधी बाबा को मानते हैं और हमारे देवता भी वाल्मीकि जी ही हैं हम तो वाल्मीकि बस्ती ही कहलवाएंगे तुम भीमनगर कहो या जो भी तुम्हें अच्छा लगे।

वाल्मीकियों और जाटवों में छत्तीस का आंकड़ा था। हमेशा तलवार खिंची रहती लेकिन इस युद्ध को शांत करने में एक ही चीज बहुत ही सक्षम थी और वह थी शराब। मैं तो कहता हूं शराब, शराब न होकर अमृत थी, यदि अमृत जैसा कुछ होता है तो। वाल्मीकि और जाटव खूब लड़ते थे और बाद में साथ बैठकर शराब पीते फिर एक हो जाते थे।

वाल्मीकियों के घरों और जाटवों के घरों से ही सटी हुई एक और बस्ती थी मुसलमानों की और वैसे भी आप यदि गहनता से अध्ययन करेंगे तो जहां भंगी होंगे वहीं चमार होंगे और उनके साथ ही मुसलमान भी होंगे। यह सवर्ण समाज की व्यवस्था है। यहां यह भी बताऊं कि मुसलमान वैसे तो चमारों-भंगियों से मेल रखते हैं लेकिन एक दो मसले ऐसे हैं जहां वे भी हमें भंगी और चमार ही समझते हैं ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण और शेष हिन्दू समझते हैं। तब स्थिति और खराब हो जाती है। इन मुसलमानों और शहर के सभी मुसलमानों का एक कब्रिस्तान था जहां मृतक मुसलमानों की कब्रें थीं और इस कब्रिस्तान में पीर बाबा की मजार भी थी जो अब भी है। पीर बाबा की मजार को सभी लोग मीराजीबली की मजार कहते थे जहां बरसात के दिनों में मेला (उर्स) लगता था और कव्वालियों का कार्यक्रम भी होता था। आज भी होता है। हम लोग अपनी-अपनी कक्षाओं में पास होते तो अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थानुसार वहां बतासे चढ़ाने जाते और किसी की नौकरी लगती तो चादर चढ़ाई जाती थी। विश्वास और आस्था यह थी कि मीराजीबली की दुआओं से ही नौकरी मिली है। मेरी नौकरी लगने पर भी अम्मा ने चादर चढ़ाई थी।

इसी कब्रिस्तान से लगी हुई एक जगह और है जो हमारे मौहल्ले के बुजुर्गों ने बनवाई थी जिसे रविदास मंदिर कहा जाता था। जहां संत रविदास का मंदिर तो मैने नहीं देखा था लेकिन जगत पिता देवादिदेव भगवान शंकर के लिंग की पूजा हमारे सभी बुजुर्ग किया करते थे। उस लिंग पर पुष्प, प्रसाद और अमृत चढ़ाया जाता था। कुछ बुजुर्ग यहां पहलवानी भी करते थे। बहुत ही रमणीय स्थान था यह।

मौहल्ले में उस समय बहुत कम लोग ग्रेजुएट थे और जितने भी पढ़े लिखे थे वे लगभग नौकरी पर थे। मेरे भइया के बराबर के लोग पढ़ रहे थे और धीरे-धीरे जागृति की ओर अग्रसर थे और अंधविश्वास तथा ढोंग ढकोसले से दूर रहने में प्रयासरत थे।

चेतना का संचार हमारे बुजुर्गों में भी धीरे-धीरे होने लगा था। नवयुवाओं में महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव बढ़ रहा था। कांग्रेस की सरकार भले ही थी लेकिन तब कांग्रेसी, नेता होने के साथ-साथ इंसान भी थे। दूसरे नेता भी थोड़े से सहृदय थे।

उन्हीं दिनों, जब मैं कक्षा तीन में पढ़ता था मुझे भली भांति याद आता है कि मेरे भइया के साथी, गांव के चाचा, ताऊ आदि लोगों ने दस-दस पैसे और पच्चीस-पच्चीस पैसे अपने खर्चों में से निकालकर इकट्ठे किए थे। मौहल्ले के बड़े बुजुर्गों से भी कुछ योगदान लिया गया था। तब एक रिक्शे पर बाबासाहेब अम्बेडकर की तस्वीर रखकर फूल मालाओं से उस तस्वीर को सजाकर एक छोटा सा माइक लेकर पूरे शहर में चौदह अप्रैल के दिन जुलूस निकाला गया था।

'बाबासाहेब अमर रहे' और 'जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा' या फिर, 'इधर भी देखो-बाबा साहेब, उधर भी देखो बाबा साहेब, इग्लैण्ड में देखो-बाबासाहेब....।' जैसे नारों से पूरे शहर में धूम मचाई गई थी। शहर के लोगों ने पूछा भी था, 'मौहल्ले के जाटव ये किसकी जय-जयकार कर रहे हैं।'

तो लोगों ने जबाब दिया था, 'ये इनके भगवान हैं।'

जिस दिन पूरे मौहल्ले में बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली जन्म-जयंती निकली थी। उसी दिन शाम को पढ़े-लिखे और समाज के प्रतिष्ठित लोगों की मौहल्ले के 'जनमासे' में पहली मीटिंग हुई थी जिसमें समाज के प्रति बाबा साहेब के योगदान और उनके जीवन पर बातें भी हुई थीं।

घरों में महिलाओं ने मंगलाचार गाए थे। भजन हिन्दुओं के ही थे। महिलाएं राम सीता या शंकर कृष्ण की जगह बाबासाहेब का नाम ले लेती थीं। यह श्रद्धा थी या भक्ति, कोई नहीं जानता लेकिन शुरूआत बेहद अच्छी थी। अपने आराध्य के प्रति आस्था और विश्वास देखकर आज भी मन भर आता है। महिलाएं अपनी-अपनी छतों पर ढोलक और मजीरा बजाकर गाती हुई कैसी भोली और मासूम लगती थीं कि उनके लिए मन श्रद्धा और सम्मान से झुक-झुक जाता था तब-

मेरे घर आए हैं बाबा साहेब
सहेली गाओ मंगलाचार
या फिर
मैंने सोने की थाली में भुजना परोसे जैलेओ, जैलेओ मेरे बाबा साहेब
सोने के गढ़ुआ गंगाजल पानी
पीलेउ पीलेउ मेरे बाबा साहेब

खूब नाच-नाच कर गाए थे ये गीत मौहल्ले की मांओं, बड़ी अम्माओं, भाभियों और बहिनों ने। कोई छल नहीं कोई कपट नहीं सिर्फ आस्था और विश्वास था। तब लगा था सभी के देवताओं की तरह हमारा भी कोई आराध्य है। हमारा भी कोई मार्गदर्शक है। हमारा भी कोई दाता है।

और यहीं से समाज में परिवर्तन की शुरूआत हो गई थी। बाबासाहेब की लिखी किताबें मौहल्ले में आ गई थीं। लोग एक दूसरे से मांग-मांग कर पढ़ते थे। उन पर अमल भी करने लगे थे।

पहली साल शुरूआत थी फिर वह जन्म जयंती समारोह थोड़ा बड़ा हुआ... .फिर और ....फिर और .....फिर और बढ़ता गया। और साथ ही बढ़ता गया समाज का रूप।

मौहल्ले में पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी थी। डाक्टर, इंजीनियर से लेकर अध्यापक, बाबू और अधिकारियों के अंबार भी लगने लगे। हर घर में कोई ने कोई नौकरी कर रहा था।

मौहल्ले के सभी लोगों ने महामानव के इस सूत्र-शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, को अपने-अपने जीवन में उतार लेने का संकल्प क्या लिया कि सवर्णों की छाती पर सांप लोटने लगा था। बड़ा हो गया था मैं। अब बारहवीं कक्षा में था।

तभी एक दिन मौहल्ले में एक मीटिंग हुई थी। क्यों न अपनी एक समिति गठित की जाए और वह समिति मौहल्ले में विकास कार्य करने के साथ-साथ समाज के लोगों को गंदे काम अर्थात् मरे हुए जानवरों की खाल खींचने, मरे हुए जानवरों को खींचने, जूता गांठने आदि से दूर रखे। इन कामों को बंद करवाए।

हालांकि यह काम थोड़ा सा रिस्की था मौहल्ले के लगभग घरों में कोई न कोई व्यक्ति इन कार्यों से जुड़ा हुआ था। इसे रोकना 'हार्ड नट टु क्रेक' था फिर भी सफलता मिल रही थी। सफलता मिली भी और लोग जुड़े भी फिर इसी मीटिंग में बात हुई कि मौहल्ले

के किनारे दक्षिणी ओर एक बड़ा सा तालाब है इस तालाब को मिट्टी डालकर समतल करके महामानव बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाय। यह ठीक उसी तरह था जैसे पहले लोग मंदिर बनवाने की बात करते थे।

अम्बेडकर मूर्ति स्थापना समिति गठित की गई थी। घर-घर से चंदा इकट्ठा किया गया था। आश्चर्य की बात थी कि सभी लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई में से दिल खोलकर चंदा दिया था। अपने मौहल्ले के अलावा शहर के लोगों ने भी सहायता की थी। कुछ लालच भी दिया गया था कि जो व्यक्ति एक निर्धारित राशि देगा उसका नाम महामानव की प्रतिमा के नीचे लगी हुई पट्टिकाओं पर लिखा जाएगा और जब तक महामानव की प्रतिमा रहेगी, उन सभी लोगों के नाम भी अमर हो जाएंगे। इस प्रकार काफी पैसा इकट्ठा हुआ था। और इस पैसे से बाबासाहेब की प्रतिमा मंगाई गई थी। तालाब में डालने की मिट्टी से लेकर ईंट गारा और मजदूरी तक सारा कार्य किया गया था और फिर जिस मौहल्ले का नाम भीमनगर था आज वहीं बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लग गई थी। मौहल्ले का नाम सार्थक हो गया था।

मौहल्लेवासी बेहद खुश थे।

लोग बाबासाहेब को मानते ही नहीं थे बल्कि उनकी बात भी मानने लगे थे। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना भी शुरू कर दिया था जिनमें गरीब और निर्धन लोगों से लेकर पियक्कड़ और जुएंबाज शामिल थे तो समझदार और असहाय महिलाएं भी थीं। बच्चे पढ़ रहे थे और नौकरियों में भी लग रहे थे।

पूरे शहर में मौहल्ले का नाम ऊंचाई पर था। लोग मौहल्ले से डर मानने लगे थे। मौहल्ले की एकता का पूरा शहर लोहा मानता था। शहर के बाजार में भी मौहल्ले के लोगों का दबदबा था। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि बाजार में मौहल्ले के लोगों की दुकानें भी चल रही थीं जिनमें जूतों की दुकानों के अलावा, पंसारी, जनरल स्टोर, कपड़े और छोटे-मोटे आभूषणों की दुकानें भी होने लगी थीं। लगने लगा था कि महामानव का सपना साकार हो रहा हो।

अब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का जुलूस एक रिक्शे पर नहीं निकाला जाता था, अब तो बहुत भव्य और शानदार तरीके से निकलने लगा था जिसमें पचासों झांकियां निकाली जाती, चार-चार बैण्ड होते, हाथी, घोड़े, आतिशबाजी चलती।

झांकियों की तैयारियों में महीनों लगते थे। महीनों पहले से ही मौहल्ले में उत्सव सा माहौल होता था। अपार खुशियां और उन्हें सहेजे-सहेजे मौहल्ले के लोग अपने आप पर इतराने लगते।

अधिकांश कच्चे घर अब पक्के और नए बन गए थे। पढ़ने-लिखने वाले और मेहनती लड़के मौहल्ले से बाहर दूसरे शहरों में नौकरी से लग गए थे उन्होंने वहीं अपने घर बना लिए। लोग संपन्न हुए तो अपने घर वालों, भाई बहिनों का कुछ दिनों तक तो ध्यान रखा, बाद में, धीरे-धीरे अपनी संपन्नता के गुरूर में अपने परिवारजनों को भुलाने लगे थे जिन मां, बाप, भाई, बहिनों ने अपने घर के एक-एक बच्चे को पढ़ाने में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया था, उन्हीं पढ़े-लिखे और संपन्न लोगों ने अपने-अपनों को भुला दिया। इनमें से कुछ संपन्न लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरी जाति की सुन्दर, अमीर और घमंडी लड़कियों से शादी कर ली और वे अब न तो उन जातियों के रह गए थे और न ही अपने अपनों के। अब वही संपन्न लोग अपने ही परिजनों को हेय दृष्टि से देखने लगे। अव्वल तो वे गांव आते ही नहीं थे और आ भी जाते तो उनकी वही सुन्दर, अमीर और घमंडी सवर्ण पत्नियां अपनी देवरानियों, जिठानियों और ननदों तथा देवरों को घृणा और तिरस्कार की नजर से देखतीं। मौका पाते ही उनका अपमान करने में नहीं चूकतीं। उनके पति उल्लुओं की तरह जोरू के गुलाम बने निर्लज्ज हो देखते रहते। परिणाम यह हुआ कि उनके परिजन हताशा और निराशा में जीने लगे थे। और लौटकर वही वापिस आने लगे थे जहां से चले थे। नई-नई उमर के बच्चे शराब के नशे में धुत रहते। जुआं और सट्टों के अड्डे जमने लगे थे। मां-बाप अपने इन बर्बाद होते बच्चों को देखते तो उनकीं आंखें बहने लगतीं। जिन पर गर्व किया था उन्होंने ही ....।

और इन्हीं सब पर गिद्ध नजर टिकाए सवर्ण हिंदुओं ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वे इन नशेड़ी, गंजेड़ी और जुआरियों को बाबासाहेब के प्रति भड़काने लगे। राम-सीता, कृष्ण-राधा की जीवनियां समझाते। उन्हें दारू पीने के लिए पैसे देते और उनसे दुगने-तिगुने वसूलते। नई उम्र के लड़के-लड़कियां रात-दिन मोबाइलों पर आशिकी करते और उन्हीं पर पोर्न फिल्में देखते। आपस में खूब लड़ाइयां होती।

अभी पिछले महीने ही गया था मैं अपने मौहल्ले। पिता नहीं रहे। दुख में था। एक सप्ताह ही रहना था घर पर। भइया और पूरा परिवार शोकसंतप्त था इसलिए जब भी बातें होतीं तो पिता की यादें ही होती। पिता ने अपना सब कुछ लगाकर, अपने को स्वाहा करके पूरे परिवार को सब लायक बनाया। अनपढ़ पिता, मेहनत मजदूरी करते थे और एक

हम दोनों भाई बाजार के लिए जा रहे थे कि मैने देखा, एक बहुत ही सुन्दर और लग्जरी बस जिस पर 'यादव ट्रांसपोर्ट' लिखा था मौहल्ले के बाहरी छोर पर खड़ी थी। कुछ स्त्री-पुरूष उसमें बैठे थे और कुछ बैठने वाले थे और कुछ के आने का अभी इंतजार था शायद। हम दोनों भाइयों को देखते ही संवेदना व्यक्त करने वाले अंदाज में वे सभी एक स्वर में बोले थे, 'राधे-राधे...राधे राधे।' भइया ने 'जयभीम साहब' कहा था।

ही बात हमेशा कहते थे, 'बच्चे पढ़ाइलेउ फिर आधी मुक्ति मिल गई समझो।' उन्होंने हम सभी को पढ़ाया और पूरा घर पढ-़लिखकर छोटी-बड़ी नौकरियां कर रहे हैं लेकिन फिर भी पिता के न रहने पर पिता का दर्द सालता है।

अभी हम लोग पिता की यादें कर-कर के बातें कर रहे थे कि हमारे पड़ौस के चाचाजी का जवान बेटा आया था और बोला, 'भइया आज रात को जागरण बजेगा।' आइवे की कोशिश करियो .... भइया आपउ आइयो।' इतना कहकर वह चला गया था।

मैने भइया से पूछा था, 'भइया ये वही जागरण है जिसमें लोगों पर देवी आती है। ......ये सब ढोंग ढकोसले अभी बंद नहीं हुए। मैं था तब तो लोगों ने स्वेच्छा से इस दुष्कृत्य को बंद कर दिया था।'

'अब किस-किस बात के लिए रोओगे बेटा ....इसी मौहल्ले के लोग उन सभी बातों को मानने लगे जिनसे छुटकारा पाने में हमारी पीढ़ी के लोग बूढ़े हो गए। मैं सेवा से रिटायर हो गया। राजीव, रामसेवक, दीना, पीताम्बर, मोहन, कप्तान सब धीरे-धीरे बुढ़ापे की ओर भाग रहे हैं। आज के बच्चे बात ही नहीं मानते। कोई वैष्णो देवी जाता है तो कोई साई बाबा को खोजने में लगा हुआ है।' अभी भइया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर के बाहर कुछ लोग आए। उनमें से कुछ को मैं जानता था ये वही लोग थे जो बाबा साहेब का जयकार करने में सबसे आगे रहते थे। पता चला कि इनका कोई बच्चा नौकरी से नहीं लग पाया तो बाबा साहेब को त्याग दिया है। अब काली मां और भैरों बाबा की शरण में जीवन का सुख ढूंढ रहे हैं।

इन लोगों ने भइया के बेटे को इशारे से बुलाया था, 'हम लोग संतोषी माता के मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप अभी दुख में हो....जब सब ठीक हो जाए तो देख लेना।' और इतना कहकर वे सभी चले गए थे।

भतीजे ने जब आकर बताया तो मैं रो पड़ा।

कुछ देर बाद भइया और मैं शाम को बाजार की ओर निकले थे। 'चलो लला शाम के लिए कुछ सब्जी ले आए।' कहा था भइया ने।

हम दोनों भाई बाजार के लिए जा रहे थे कि मैंने देखा, एक बहुत ही सुन्दर और लग्जरी बस मौहल्ले के बाहरी छोर पर खड़ी थी। कुछ स्त्री-पुरूष उसमें बैठे थे और कुछ बैठने वाले थे और कुछ के आने का अभी इंतजार था शायद। हम दोनों भाइयों को देखते ही संवेदना व्यक्त करने वाले अंदाज में वे सभी एक स्वर में बोले थे, 'राधे-राधे .... राधे राधे।' भइया ने 'जयभीम साहब' कहा था।

मैने भइया से पूछा था, 'ये राधे-राधे क्या है।'

ये सब लोग इस बस में भरकर एक ढोंगी बाबा के 'प्रवचन' सुनने जाते हैं। वहीं सेवा करते हैं और कई-कई दिन अपने परिवार से अलग रहते हैं।'

'कौन है वह नीच' मैं अपने पिता के दुख को एक पल के लिए भूल गया था।

'भोले बाबा।' संक्षिप्त सा उत्तर भइया का था।

हम दोनों सब्जी लेने चले गए थे और जब सब्जी लेकर घर लौटे तब तक भइया का एक बेटा जो आगरा में पुलिस में नौकरी करता है, आ गया था। मैं उसे देखकर खुश हो गया था। उसने मेरे पैर छुए और बोला था, 'राधे-राधे ,चाचा, राधे-राधे।'

मैं भौचक्क रह गया और बजाय उसे आशीर्वाद देने के इतना ही बोला था, 'व्हाट नॉनसेंस'

उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब भइया बोले थे, 'आगरा-मथुरा पास-पास में हैं। मथुरा में अक्सर डयूटी रहती है इसकी, इसलिए राधे-राधे बोला इसने गुस्सा मत होओ .... बेटा।' एक बार को लगा था भइया धृतराष्ट्र हो गए हों।

'और यहां ...इस घर में आपने सिखाया .... मैने सिखाया .... मेरे पिता ने सिखाया। सब भूल गया, नीच और सिर्फ राधे-राधे ही याद रह गया इसे ... भुला दिया बाबा साहेब को .....जा चुल्लू भर पानी में डूब मर कमीने।' मैं लगभग चीखा था।

भइया मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। मेरे पिता की मृत्यु वाले दिन, जितना दुख मुझे हुआ था उससे कहीं ज्यादा दुख उस दिन हुआ था और लग रहा था चारों ओर मातम छा गया हो।

(लेखक चर्चित कवि, कथाकार एवं कृषि मंत्रालय में सहायक निदेशक हैं)

सत्यमेव जयते

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएं :-

- **डॉ. अम्बेडकर के जन्म दिवस/महापरिनिर्वाण दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्त्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य, समाज कार्य, समाजशास्त्र,

अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/- से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना-2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 60,000/-, रु. 50,000/- और रु. 40,000/- प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती है, तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/- का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000/- एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

- **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं (12वीं कक्षा) में अनुसूचित जाति से संबद्ध योग्य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक

वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

- **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णतः बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

- **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000 से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस/परिनिर्वाण दिवस समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे- संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायणा गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि बाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले, बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्त्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.डब्ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुनः प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

संपादक : सुधीर हिलसायन
संपादकीय संपर्क : 011-23320588/**सब्सक्रिप्शन संपर्क :** 011-23357625

♦ सामाजिक न्याय संदेश

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

पुस्तक अंश/दसवीं किस्त :

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-16

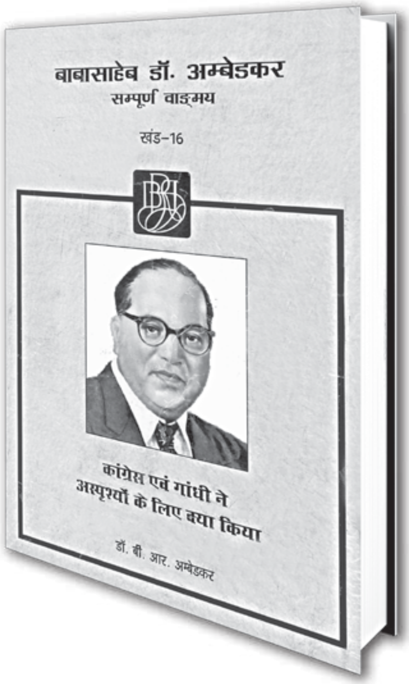

कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

अध्याय-5
राजनीतिक दान

कांग्रेस की अस्पृश्यों को मेहरबानी करके मारने की योजना

बम्बई के कावस जी जहांगीर हाल में, पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1932 को एक सभा हुई, जिसमें हिंदुओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। सभा का उद्देश्य था अखिल अस्पृश्यता विरोधी संघ (आल इंडिया एंटी-अनटचेबिलिटी लीग) की स्थापना करना, तथा उसकी शाखाएं विभिन्न प्रांतों और केंद्रों में खोलना। दिल्ली में उस लीग का मुख्यालय बनने वाला था। श्री घनश्याम दास बिडला उसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर उसके महामंत्री बनने वाले थे। आल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना श्री गांधी की योजना थी। उस लीग को श्री गांधी से प्रोत्साहन मिला था और यह पूना पैक्ट का परिणाम था। उत्पत्ति काल से ही यह लीग एक प्रकार से श्री गांधी का धर्मपुत्र था। श्री गांधी ने पहला काम यह किया कि उसका नाम बदल दिया। एक प्रेस विज्ञप्ति, जो 9 दिसंबर 1932 को प्रसारित हुई थी, जिसमें गांधी ने जनता से कहा था कि यह संस्था अब से 'सर्वेंट्स ऑफ दि अनटचेबिल्स सोसायटी' के नाम से जानी जाएगी। यह नाम गांधी जी को पसंद नहीं था और वह दूसरे नाम की तलाश में थे। अंत में उन्होंने उसका नाम नामकरण किया 'हरिजन सेवक संघ'-जिसका अर्थ था, उन लोगों की संस्था, जो अस्पृश्यों की सेवा में लगे हों। यह श्री गांधी द्वारा दिया हुआ नाम था, जिसे वह अस्पृश्यों के लिए प्रयोग करते थे। इससे शैवों और वैष्णवों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विष्णु के सौ नामों में से 'हरि' एक नाम है, जबकि 'हर' शिव के सौ नामों में से एक है। 'हरिजन' नाम चुनने में श्री गांधी

> **" सभी को पद्दलित लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी कभी आलोचना न की जाए। यह जांच करना उचित ही होगा कि जब से संघ बना है तब से वह क्या कार्य कर रहा है। "**

को किसी एक पंथ का पक्षपाती होने का दोषी ठहराया गया। शैवों का विचार था कि अछूतों को 'हरजन' कहा जाए, जिसे श्री गांधी ने स्वीकार नहीं किया और उस नई संस्था का नाम 'हरिजन' पर रखा गया।

श्री बिडला और ठक्कर ने 3 नवंबर 1932 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने उस संस्था का कार्यक्रम बनाया और यह भी बताया कि संस्था उस कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित करेगी।

> ''संस्था का विश्वास है कि सनातनी हिंदुओं ने सूझबूझ वाले लोग अस्पृश्यता निवारण के उतना विरूद्व नहीं है, जितना कि अंतर्जातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के। चूंकि संस्थान की यह आकांक्षा नहीं है कि अपनी सीमा से बाहर के सुधारों को हाथ में ले, यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि संस्था सवर्ण हिंदुओं ने अस्पृश्यता के चिन्हों को समझा बुझा कर समाप्त करने का कार्य करेगी, उसका मुख्य कार्य रचनात्मक होगा, जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में दलित वर्गों का उत्थान जिससे अस्पृश्यता निवारण को बहुत बल मिलेगा। ऐसे कार्य से कट्टरपंथी सनातनी हिंदू भी विरोध करने के बजाय सहानुभूति दिखायेंगे और मुख्यतया इस संस्था का निर्माण इसीलिए किया गया है। सामाजिक सुधार जैसे जाति व्यवस्था को समाप्त करना और अंतर्जातीय सहभोज इस संस्था की परिधि से बाहर रखे गए हैं।"

योजना को सहजता से चलाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक प्रात: इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक इकाई का वेतनभोगी उसका प्रभारी हो। जरूरी नहीं कि एक जिले में एक इकाई हो, वह इकाई दो जिलों अथवा दो राज्यों को भी मिलाकर बनाई जा सकती है। एक वर्ष के लिए एक साधारण बजट का मसविदा भी बनाया गया। वह बजट निम्न प्रकार होगा–

> "पूरे खर्च का कम से कम दो तिहाई धन उनके वास्तविक कल्याण कार्यों पर व्यय होना चाहिए और शेष एक तिहाई धन कर्मचारियों और उनके भत्तों पर व्यय होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम दो वेतनभोगी कार्यकर्ता होंगे, उन्हें महीने में 15 से 29 दिन तक गांवों में भ्रमण करना होगा।

दो भ्रमणशील कार्यकर्ताओं का रखरखाव एवं भत्ता– 30+20=50X12	= 600
दो भ्रमणशील कार्यकर्ताओं का यात्रा भत्ता – 2X10X12	= 240
कर्यकर्ताओं का विविध खर्च – 2X10X12	= 240
कल्याणकार्य अर्थात, स्कूली पुस्तकों का मूल्य	= 2000
छात्रवृत्ति, पुरस्कार, कुंओं के लिए अनुदान और हरिजन पंचायतों का निर्माण	
योग	= 3080

हम यहां पूरे देश के लिए मोटे तौर से न्यूनतम वार्षिक राशि का विवरण दे रहे हैं। उस महान कार्य के विचार से योजना बहुत किफायती थी और इन विशाल कार्य के लिए धन एकत्र करने से जनता को कोई कठिनाई नहीं होती। उस कार्य के लिए दी गई पाई-पाई मूल्यवान थी, इसलिए हम चंदे के रूप में योगदान करने की अपील जनता से करते हैं। प्रत्येक प्रांत के लिए इकाइयों की प्रस्तावित संख्या केवल अस्थाई प्रस्ताव है। वास्तव में अंतिम निर्णय प्रांतीय बोर्डों द्वारा अपने आप में लेना होगा।

''यह हिसाब लगाया गया है कि फिलहाल इकाइयों की निम्नलिखित संख्या विभिन्न प्रांतों में कार्य करने के लिए आवश्यक होगी। जिलों और राज्यों में इकाइयों की संख्या प्रत्येक प्रांत में निम्न प्रकार थी।

प्रांत का नाम	जिलों की संख्या	इकाइयों की संख्या
असम	11	6
आंध्र	–	6
बंगाल	26	15
कलकत्ता नगर	1	3
बिहार	16	16
बम्बई नगर एवं उपनगरीय जिला	1	3
महाराष्ट्र	10	8
गुजरात, बड़ौदा, कठियावाड़, कच्छ और दूसरे राज्य		
5 और राज्य 10 मध्यप्रांत एवं बरार (मराठी)	9	7
मध्य भारत के राज्य	11	8
दिल्ली प्रान्त	1	2
काश्मीर	1	1
मालाबार, कोचीन एवं त्रावनकोर	4	10
मैसूर, कर्नाटक, बम्बई के जिले और मद्रास	8	10
निजाम का राज्य	14	10
उड़ीसा जागीरदारी राज्य	5+26=स्टेट्स	8
पंजाब एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा		
पंजाब राज्य (स्टेटस)	32+7=39	10
राजपूताना रजवाड़े अजमेर-मारवाड़ राज्य		
ब्रिटिश शासित खंड-	18+1=19	9
सिंध	8	5
तमिलनाडु	13	8
संयुक्त प्रांत	48	24
योग		**184**
184 इकाइयों का खर्च होगा –	3000X184 =	5, 52, 000 रुपये
केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय		
केंद्रीय कार्यालय –	1000X12 =	12,000
प्रातीय कार्यालय –	4000X12 =	48,000
संपूर्ण योग		**6,12,000 रुपये**

इस धनराशि को केंद्रीय कोष से तथा प्रांतों और जिलों से एकत्र करना होगा, यह देखा जा सकता है कि 6 लाख रुपये एकत्र करने का इरादा किया गया था और इसे पूरे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए तथा हरिजनों के उत्थान पर खर्च करना था। यह उत्थान का कार्यक्रम कम से कम पांच वर्ष

तक अवश्य चलना चाहिए। देसी राज्यों को मिला कर इस योजना का प्रसार जब 22 प्रांतों में फैल गया तो चार करोड़ अथवा चार सौ लाख हरिजनों के लिए यह धनराशि वास्तव में कम थी।''

हरिजन सेवक संघ का कार्य करने के लिए धन जुटाने को श्री गांधी ने 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 के मध्य देशभर की यात्रा की और आठ लाख रुपये इकट्ठे किए। जैसा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के हित में सवर्ण हिंदुओं के अंदर उत्साह पैदा करना था और धन भी एकत्र करना था, श्री गांधी ने अधिकतर यात्रा पैदल चल कर की। श्री गांधी ने आठ लाख रूपए एकत्र किए। उपरोक्त धनराशि तथा श्री गांधी के धनी मित्रों द्वारा दानस्वरूप, जो धन एकत्र हुआ, उसमें हरिजन सेवक संघ ने अपना काम आरंभ किया।

हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 से चल रहा है। अस्पृश्यों की दुर्दशा पर तथा उनके उत्थान के लिए श्री गांधी कितने चिन्तित हैं, और उनको आत्मा में जो व्यथा है उसका यह सच शानदार साक्षी है। संघ के महामंत्री ने दिल्ली में संघ के भवन में बहुत से अमरीकी लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें दिखाया कि श्री गांधी द्वारा अस्पृश्यों के कल्याण के लिए कितना अनूठा कार्य किया जा रहा है।

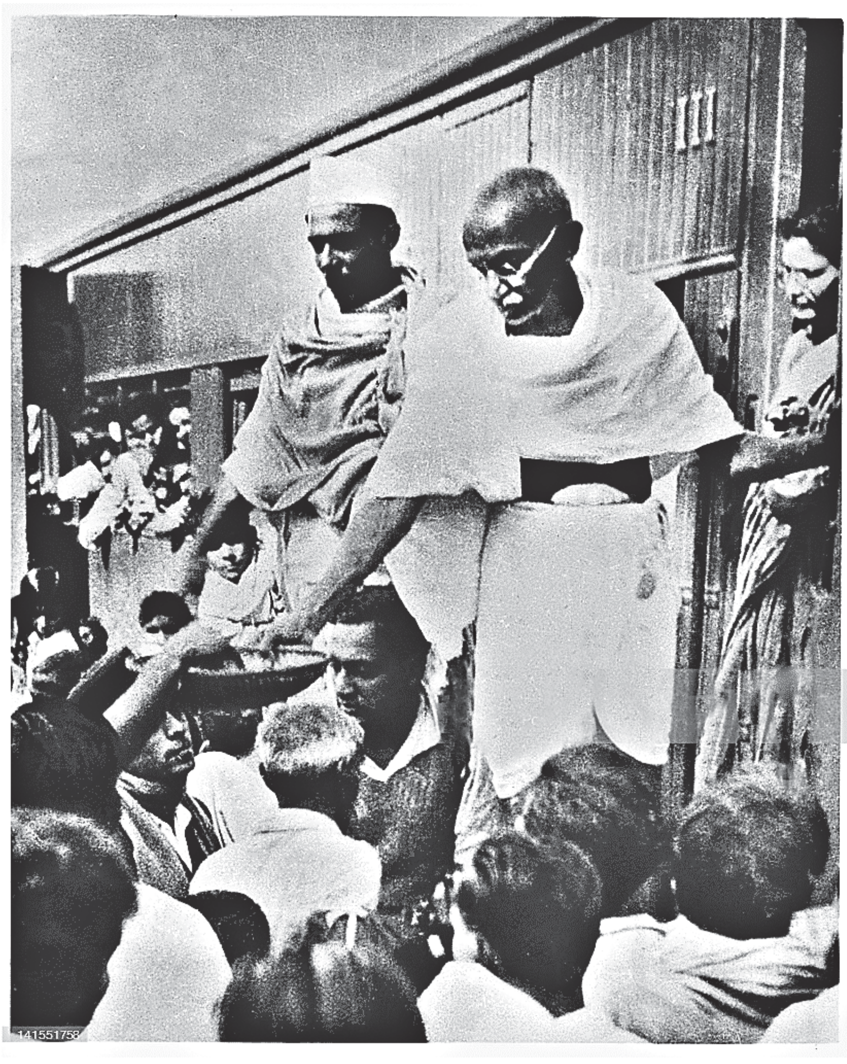

सभी को पद्दलित लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी कभी आलोचना न की जाए। यह जांच करना उचित ही होगा कि जब से संघ बना है तब से वह क्या कार्य कर रहा है। जिस किसी ने भी संघ की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन किया है, वह देखेगा कि वही घिसी पिटी बातें दोहराई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, संघ ने अस्पृश्यों के लिए कला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां आरम्भ करके उनकी सहायता कर उनमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है। संघ हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देता है। संघ उन अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए जो कालेजों और हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, छात्रावास का प्रबंध करता है। जहां आस-पास में सामान्य स्कूल नहीं थे अथवा जहां उनके लिए सामान्य स्कूल बंद थे, वहां प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पृथक स्कूल कायम करना संघ को मुख्य शैक्षिक कार्यकलाप है।

संघ का दूसरा कार्य कल्याणकारी गतिविधियां थीं। संघ का अस्पृश्यों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने का कार्य इसी शीर्षक के अन्तर्गत आता है। संघ के वे भ्रमण करने वाले कर्मचारी हरिजनों के घरों में बीमारों और आपदाओं में फंसे लोगों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने जाते हैं। अस्पृश्यों के उपयोग हेतु संघ की ओर से कुछ औषधालय का प्रबंध किया जाता है। यह संघ का लघुतर कार्य है।

संघ का अधिक महत्वपूर्ण कार्य हरिजनों के लिए पेय जल सप्लाई करना

> **यदि कोई मनुष्य गरीबी और मुसीबत से सदैव पीड़ित रहा है तो उसका कारण यही है कि वातावरण उसके लिए अनुकूल और हितकार नहीं है।**

है। वह यह कार्य (1) नए कुएं खुदवाकर अथवा नलकूप और पंप लगवाकर (2) पुराने कुओं, नलकूपों, पंपों की मरम्मत करा कर और (3) स्थानीय निकायों को नए कुएं खुदवाने के लिए प्रोत्साहन देकर करता है।

संघ ने तीसरा काम आर्थिक क्षेत्र में किया। राव ने कुछ औद्योगिक स्कूल चलाए हैं और यह दावा किया जाता है कि संघ द्वारा संचालित स्कूलों से कुछ संख्या में प्रशिक्षित कारीगर निकले जो स्वतंत्र रूप से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। परंतु रिपोर्टों के अनुसार अधिक सफल और महत्वपूर्ण कार्य अस्पृश्यों में सहकारी समितियां स्थापित करके किया गया है।

II

संघ की गतिविधियों के इस संक्षिप्त विवरण से दिमाग में यह बात आती है कि संघ अस्पृश्यों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहा है। परंतु वास्तविकता क्या है? यह स्मरण होगा कि अस्पृश्यों की उन्नति के लिए 6 लाख रुपये संघ से प्रति वर्ष खर्च करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन संघ ने वास्तव में कितना खर्च किया? उस के सचिव ने मई 1941 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि–

> ''आठ वर्षों में संघ ने हरिजनों के लिए अपनी विभिन्न शाखाओं और केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से क्रमशः लगभग 24, 25, 700 रुपये तथा 3, 41, 607 रुपये खर्च किये। समस्या की आवश्यकताओं को देखते हुए यह 27, 67, 307 रुपये की धनराशि अपर्याप्त है।''

इस आधार पर संघ का वार्षिक व्यय 3, 45, 883 रुपये आता है, जो संघ की अपेक्षित धनराशि से 50 प्रतिशत कम था। इससे स्पष्ट है कि संघ उतना बड़ा कार्य नहीं कर रहा है, जितना संघ के लोग प्रचार करते हैं। संघ बड़ी नाजुक स्थिति में चल रहा है। पांच करोड़ अस्पृश्यों की आबादी पर तीन लाख रुपये का वार्षिक बजट उतना नहीं है, जितने से अछूतों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के शासन होने के बावजूद दो वर्षों में संघ को यथोचित अनुदान सरकार की ओर से मिल सका।

संघ को उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सारा दोष हिंदुओं का है। यदि संघ की हासोन्मुख न होकर जैसी की तैसी स्थिति भी रही तो भी यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं में अस्पृश्यों के कल्याण के प्रति कितनी उपेक्षा है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक करोड़ रुपये चंदा एकत्र किया, तो तिलक स्वराज्य कोष में गया। सामान्य हितों के लिए अभी उन्होंने जल्दी ही एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये चंदे के रूप में एकत्र किए, जिससे कस्तूरबा स्मारक कोष बना। इसकी तुलना में हिन्दुओं ने हरिजन सेवक संघ के लिए जो चंदा एकत्र किया वह धनराशि नगण्य है।

अस्पृश्यों के कल्याण के लिए संघ जिस ढंग से काम करता है, उससे किसी को मतभेद हो सकता है। संघ अधिकतर जो कार्य करता है, वह ऐसा कार्य है, जिसे किसी भी सुसभ्य सरकार को सरकारी साधनों से करना चाहिए। यह पूछा जा सकता है कि संघ सरकार से इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए क्यों नहीं कहता और उन योजनाओं पर क्यों नहीं खर्च करता, जिन्हें शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है?

यद्यपि इससे अस्पृश्यों में संघ के प्रति वैमनस्य की भावनाएं नहीं उठ सकती, तब भी यह माना जा सकता है कि वैमनस्य की भावना मौजूद है। इन परिस्थितियों एवं कारणों (इस लेखक की टिप्पणी का आधाार 26 दिसंबर, 1944 को अखबारों में छपा यह समाचार था कि कुछ अछूत श्री गांधी से मिले और उनसे आग्रह किया कि हरिजन सेवक संघ की कार्यकारी परिषद में अछूतों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाए, परंतु श्री गांधी ने इनकार कर दिया। समझा जाता है कि लिखने वाला और कोई नहीं श्री के. नटराजन थे।) पर एक लेखक ने 14 अक्टूबर 1944 को इंडियन सोशल रिफार्मर में लिखा था–

> ''अनुसूचित जातियों का एक प्रतिनिधिमंडल सेवाग्राम में श्री गांधी के पास यह निवेदन करने गया कि हरिजन सेवक संघ मण्डल में अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसी सूचना मिली है कि श्री गांधी ने उन्हें उत्तर दिया कि

संघ हरजिनों की सहायता के लिए है। वह हरिजन संस्था नहीं है, अत: उनका अनुरोध मान्य नहीं है। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी ने हरिजनों के लिए सीट आरक्षण का इस आधार पर विरोध किया था कि वे हिंदू हैं और उन्हें सामान्य हिंदुओं से अलग न किया जाए। इसके पश्चात यर्वदा पैक्ट में उन्होंने सीटों के बंटवारे में हिंदू कोटे से सीटें देने पर विचार किया। जब इस संबंध में मसौदा तैयार बम्बई की आम सभा में पुष्टि हेतु लाया गया, तब उस बैठक के अध्यक्ष पंडित मदनमोहन मालवीय थे, उस सभा में से एक दर्शक ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए अधिक धन खर्च किया जाए, जैसा कि पंडित जी की राय है। हिंदू समाज का कलंक मिटाने के लिए धन एकत्र किया जाए इसकी क्या आवश्यकता है? जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, यदि प्रत्येक नर-नारी निश्चिय कर ले (उपस्थित महिलाओं की संख्या काफी थी) कि वे सामान्य हिंदुओं की भांति हरिजनों को भी अपने घर पर आदर का स्थान देंगे, तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। बम्बई के एक रईस व्यापारी ने घुसपैठिये को यह कह कर चुप कर दिया कि तुमसे उनसे भीतरी बात कही है। उनमें से कोई भी उस सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है।" पहली बात से मुझे ज्ञात होता है कि यह हरिजन सेवक संघ की मूलभूत कमजोरी रही है। परिणाम क्या हुआ? संघ का प्रत्येक लाभार्थी डा. अम्बेडकर का कट्टर अनुयायी है, जो इस बात का परिचायक है कि हिंदुओं के प्रति डा. अम्बेडकर की तरह उनका मन भी घृणा से भरा हुआ है। इस बयान की पुष्टि में से कई उदाहरण दे सकता हूं, परंतु उससे बात बिगड़ेगी। मैं समझता हूं कि समस्त महत्वपूर्ण निकायों में चाहे वे स्थानीय हों अथवा केंद्रीय, हरिजन पुरूषों और महिलाओं को अन्य हिन्दुओं के राज्य मिलाने से उस घृणा भाव से बचा जा सकता है। हरिजनों से घुले-मिले बिना उनकी सहायता करने का विचार सामाजिक सुधार की भावना के विपरीत है। हरिजनों के उत्थान से संबंधित पहले के आंदोलनों से मैं सम्बद्व था। मैंने उन पुरूषों और महिलाओं में कमी शत्रुभाव अनुभव नहीं किया। ऐसा इसलिए कि आंदोलन को खड़ा करने वाले धार्मिक विश्वास सामाजिक अभिशाप को दूर करने के लिए कटिबद्व थे और दलित वर्गों के साथ उनका व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं था। मैं समझता हूं कि श्री गांधी का यह कथन ठीक नहीं था कि अनुसूचित जातियों के लोग हरिजन सेवक संघ में नहीं शामिल किए जा सकते। एक मित्र ने मुझे बताया था कि जब संघ बना था, डा. अम्बेडकर उसके एक सदस्य थे।

मैंने यह उद्धरण इसलिए प्रस्तुत किया है कि इससे मुझे संघ के क्षोभ के कारणों तथा उसके वास्तविक स्परूप को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है।

III

'इंडियन सोशल रिफार्मर' में लेखक ने दलील दी कि अस्पृश्यों को संघ के प्रबंध में शामिल किया जाना

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि लीग को दलित वर्गों को समान अवसर प्राप्त करने का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दलित वर्गों की गरीबी और बदहाली का मुख्य कारण अस्पृश्यता के कारण उन्हें समान अवसरों से वंचित रखना है।

चाहिए। उनके बयान से शायद लोगों को विश्वास हो जाए कि अस्पृश्यों को संघ के केंद्रीय बोर्ड में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसा सोचना भूल होगी। वास्तविक स्थिति यह है कि आरंभ में संघ के केंद्रीय बोर्ड में कुछ प्रमुख अस्पृश्य प्रतिनिधि थे। श्री बिडला और श्री ठक्कर ने 3 नवंबर 1932 को जो बयान जारी किया उससे जो केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों ने उनके नाम दिए हुए हैं, उस केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं-

> 'सॉजैट श्री घनश्याम दास बिडला दिल्ली और कलकत्ता, सर पुरूषोत्तम दास ठाकुर दास, बम्बई, सर लल्लू भाई सामलदास, बम्बई, डा. वी. आर. अम्बेडकर, बम्बई, सेठ अम्बालाल साराभाई, अहमदाबाद, डा. बी.सी. राय, कलकत्ता, लाला श्रीराम, दिल्ली, राव बहादुर एम. सी. राजा, मद्रास, डा. डी.एस.एस. राजन त्रिचनापल्ली, राव बहादुर श्री निवासन, मद्रास, श्री ए.वी. ठक्कर, महामंत्री, दिल्ली।'

यह स्पष्ट है कि आठ सदस्यों में से तीन सदस्यों अस्पृश्यों में से लिए गए थे। मेरे बोर्ड से हटने पर अन्य दो सदस्य, राय बहादुर एम.सी. राजा तथा राय बहादुर श्रीनिवासन भी उससे अलग हो गए। संघ से उनके अलग होने का क्या कारण था, मुझे मालूम नहीं।

मैंने संघ से संबंध क्यों तोड़े, इसका कारण स्पष्ट कर देना उचित होगा। पूना पैक्ट के बाद मैंने भूलों और क्षमा करो, की भावना अपनाई। मैंने बहुत से मित्रों के कहने पर श्री गांधी की सदस्यता स्वीकार कर ली। उसी भावना में मैने संघ के केंद्रीय बोर्ड की सदस्यता स्वीकार की थी। मैं इसके जरिए कुछ करना चाहता था। चर्चा करने से पहले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन से मेरा बुलावा आ गया। मैं इतना ही कर सकता था कि मैं संघ के महामंत्री श्री एवी ठक्कर को अपने विचार लिख कर भेज दूं। तदनुसार मैंने स्टीमर पर से उन्हें निम्नलिखत पत्र लिखा-

> एन.एन. विक्टोरिया पोर्टसईद
> नवंबर 14, 1933
>
> प्रिय श्री ठक्कर
>
> लंदन की यात्रा आरंभ करने से पहले मुझे आपका तार मिला, जिसमें केंद्रीय बोर्ड के लिए राय बहादुर श्रीनिवासन तथा बम्बई प्रांतीय बोर्ड के लिए श्री डी. बी. नाइक के नामजद करने की मेरी सलाह स्वीकार कर ली गई है। मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि इस प्रश्न को शांतिपूर्वक हल कर दिया गया और अब हम एंटी अनटचेबिलिटी लीग की योजना को मिलजुल कर चला सकते हैं। मैं सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों से मिलकर उनसे उन सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहता था जो लीग की योजना बनाने में सम्बद्ध हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अल्प था, जो लीग की योजना बनाने से सम्बद्ध है, परंतु दुर्भाग्यवश अल्प सूचना पर लंदन के लिए रवाना होने के कारण मुझे वह अवसर गंवाना पड़ रहा है। तथापित मैं दूसरा सर्वोत्तम विकल्प लिखित रूप् में अपने विचार से भेज रहा हूं। इस अनुरोध के साथ कि आप इन विचारों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।
>
> मेरे विचार से दलित वर्गो के उत्थान के लिए दो विभिन्न पद्धतियां हो सकती है। एक वर्ग ऐसा है जो यह सोचता है कि दलित वर्ग के सदस्य की स्थिति उनके व्यक्तिगत आचरण पर निर्भर करती है। यदि वे कंगाली और मुसीबतों में फंसे हैं तो इसका कारण यही है कि वे स्वयं ही दुष्ट और पापी हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह वर्ग योजना को हाथ में लेते हुए उन सभी प्रयत्नों और साधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो इस योजना की सफलता में आवश्यक है, जैसे इसमें संयम, व्यायाम, सहयोग, पुस्तकालय, पाठशालाएं इत्यादि शामिल की जा सकती हैं, जो किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। मेरे विचार से इस समस्या से निपटने का एक और भी तरीका है। यह तरीका इस भावना से पैदा होता है कि कोई मनुष्य जिस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण में रहता है, उसी पर उसका भाग्य निर्भर करता है। यदि कोई मनुष्य गरीबी और मुसीबत से सदैव पीड़ित रहा है तो उसका कारण यही है कि वातावरण उसके लिए

अनुकूल और हितकर नहीं है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि दूसरा विचार अधिक सही है, पहला विचार कुछ लोगों का स्तर उठाने में सहायक हो सकता है, परंतु पूरा वर्ग इससे ऊंचा नहीं उठ सकता। एटी अनटचेबिलिटी लीग के उद्देश्य के संबंध में मेरा विचार यह है कि इससे दलित वर्ग के केवल कुछ ही चुने हुए बच्चों को उन्नति करने में सहायता न मिले बल्कि पूरे वर्ग का स्तर उठाने में वह विचार सहायक सिद्ध हो। अत: मैं नहीं चाहता कि लीग केवल स्वयं की योजना को कार्यान्वित करने में अपनी शक्ति व्यर्थ में बरबाद करे। मैं चाहूंगा कि बोर्ड अपनी सारी शक्तियों को ऐसी योजना पर केंद्रित करें, जिससे दलित वर्ग के लोगों को स्वच्छ सामाजिक वातावरण मिल सके। अपने विचारों को सामान्य ढंग से रखते हुए लीग की योजना के लिए मैं कुछ ठोस प्रस्ताव पेश करता हूं-

1. नगरिक अधिकारों को प्राप्त करने का आंदोलन

मेरे विचार से लीग का पहला काम यह होना चाहिए कि दलित वर्गों को गांवों के सामान्य कुओं से पानी भरने, ग्रामीण स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ाने, सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करने जैसे नागरिक अधिकारों की सुविधा के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाए। गांवों में ऐसा कार्यक्रम चलाने से हिंदू समाज में वांछित सामाजिक क्रांति आएगी। बिना ऐसे आंदोलन के दलितों को समाज की बराबरी के अवसर नहीं मिल सकते। बोर्ड पता लगाए कि नागरिक अधिकारों का आयोजन में क्या कठिनाईयां आ सकती है? मैं अपने अनुभव के आधार पर पर कह सकता हूं कि मैंने दलित वर्ग संस्थान और सोशल इक्वेलिटी लीग का अध्यक्ष होने के नाते देखा है कि बम्बई प्रेसीडेंट के कोलावा और नासिक जिलों में जो योजना चलाई थी उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले तो दलित वर्गों और सवर्ण हिंदुओं के बीच दंगे, फसाद होते हैं, जिसमें दोनों तरफ के लोगों के सिर फूटते हैं और फौजदारी के मुकदमें चलते हैं। इस लड़ाई में दलित वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट उनके विरूद्व होते हैं। उपरोक्त दोनों जिलों में सामाजिक संघर्ष के समय एक भी काम ऐसा नहीं था, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट जितना भ्रष्ट हो सकते हैं, उतने भ्रष्ट हैं। परंतु इससे भी बुरी बात यह है कि वे इस अर्थ में राजनीति से प्रेरित है कि ये वह नहीं देख सकते कि इन्हें न्याय मिले। वे तो चाहते हैं कि दलित वर्गों के मुकाबले सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व और उनका हित सुरक्षित रहा। दूसरे गांवों के लोग दलित वर्गों का पूर्णतया बहिष्कार करते हैं। जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि दलित वर्ग के लोग उनकी बराबरी पर आने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप उनकी परेशानी, भुखमरी और बेरोजगारी की दर्दनाक कहानियां जानते हैं? उन्होंने ये कहानियां स्टार्ट समिति के समक्ष दोहराई थी जिसके आप भी सदस्य थे। इसलिए मैं इस उपाय के प्रभाव के विषय में और कुछ नहीं कह सकता। न ही इस विषय में इससे अधिक कहने की गुंजाइश है कि दलित वर्गों को उनकी विकट अवस्था से ऊंचे उठाने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

(क्रमश: शेष अगले अंक में)

निर्माणाधीन डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26, अलीपुर रोड, दिल्ली

सत्यमेव जयते

एडवर्टोरियल

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम

यह वर्ष डॉ. अम्बेडकर के 125वीं जयंती का वर्ष है जिसे सोल्लासपूर्वक मनाने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य, ऐसी भावना पैदा करना है ताकि समाज में समरसता स्थापित हो सके। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संदेशों को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

1. डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में अक्टूबर एवं नवम्बर में 100 छात्रों को कोलम्बिया यूनिर्वसिटी एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अध्ययन यात्रा पर भेजा जा रहा है।

2. डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जनपथ पर 3.25 एकड़ भूमि पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान परिसर में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 20 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का शिलान्यास एक भव्य समारोह में किया था।

3. 26 अलीपुर रोड़ नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि को डॉ. अम्बेडकर स्मारक के रूप में विकसित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अक्टूबर या नवम्बर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

4. 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नागपुर स्थित दीक्षा भूमि, बड़ौदा स्थित संकल्प भूमि को भी विकसित किया जा रहा है।

5. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले स्थित डॉ. अम्बेडकर का पैतृक गांव 'अम्बावडे' को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है।

बिन्दु (1) : डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी करने का संक्षिप्त विवरण

1. मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया था कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में देश भर में समारोह आयोजित किए जाएं। डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए जिन मदों की पहचान की गई थी उनमें से एक ''स्मारक सिक्के'' जारी करना था।

2. आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के अनुरोध पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के सूचक चिन्हों के लिए 125 रु. के गैर-परिचालनीय और 10 रु. के परिचालनीय सिक्कों के दो पेपर डिजाईन (डिजाईन सेंख्या 3 और 4, दिनांक 12.08.2015) प्रस्तुत किए थे। एचएमएसजेई एवं अध्यक्ष, डीएएफ द्वारा विधिवत स्वीकृत डिजाईन वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने 125 रु. के स्मारक सिक्के और 10 रु. के एक परिचालन सिक्के को जारी करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी सुविधानुसार समय देने का अनुरोध किया था।

3. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 रेस कोर्स रोड पर 6 दिसंबर, 2015 को 125 रु. और 10 रु. के स्मारक सिक्के जारी किए।

4. मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया था कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में देश भर में समारोह आयोजित किए जाएं। 125वें जयंती वर्ष मनाने के लिए चिन्हित की गई मदों में से एक मद डा. भीमराव अम्बेडकर का स्मारक डाक टिकट जारी करना था।

5. पीआईबी सम्मेलन कक्ष, शास्त्री भवन में दिनांक 30.09.2015 को एक कार्यक्रम में माननीय संचार मंत्री के साथ एचएमएसजेई, अध्यक्ष, डीएएफ द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था।

बिन्दु (2) : मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता स्कीम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता-2015 का संक्षिप्त विवरण

1. मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया था कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में देश भर में समारोह आयोजित किए जाएं। चिन्हित किए गए अनेक कार्यक्रमों में से एक निबंध प्रतियोगिता-2015 का आयोजन करना था।

2. निबंध प्रतियोगिता-2015 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू), अलीगढ़ के साथ सहयोग में आयोजित की गई। समाचार पत्रों में विज्ञापन और डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की वेबसाईट के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर इसका प्रचार किया गया था।

3. एएमयू को कुल 2180 निम्न निबंध प्रविष्टियां प्राप्त हुई:-

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निबंध प्रविष्टियों की संख्या

श्रेणी : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान			श्रेणी: मान्यता प्राप्त स्कूल		
हिन्दी	अंग्रेजी	कुल	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल
380	400	780	600	800	1400

4. एचएमएसजेई एवं अध्यक्ष, डीएएफ द्वारा विधिवत स्वीकृत निबंध प्रतियोगिता-2015 के परिणाम डा. अम्बेडकर फाउंडेशन की वेबसाईट पर अपलोड किए गए थे। परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

2015 की निबन्ध प्रतियोगिता के परिणाम

श्रेणी : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान

	हिन्दी	अंग्रेजी
प्रथम पुरस्कार (रु. 1,00,000/-)	सुश्री नेहा रावत मोहल्लान ठाकुरान, दादरी (जी. बी. नगर) यू. पी.	श्री अनुज, मकान नं. 500/34, कृष्णा कॉलोनी, काठमंडी, झाझर रोड, रोहतक, हरियाणा-124001
द्वितीय पुरस्कार (रु. 50,000/-)	सुयास रायसिंघानी, पता - 46, माधव कृपा सर्वोदय कॉलोनी, पुलिस लाइन, अजमेर, राजस्थान-305001	प्रज्ञान दीप अग्रवाल द्वारा कृष्ण स्वरूप (एडवोकेट), मंड फेथ गंज, बुलंदशहर, यू.पी.-203001
तीसरा पुरस्कार (रु. 25,000/-)	श्री अतुल कुमार वर्मा, क्यू/1085, श्याम भवन, कन्नूगोयान, गल्लामंडी, बाराबंकी-225001, (यूपी)	सुश्री स्वाथि एस. पी., 92/ए, कृष्णांकुंज, यमुना नगर, ओसिवारा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-500053

श्रेणी : मान्यता प्राप्त विद्यालय

	हिन्दी	अंग्रेजी
प्रथम पुरस्कार (रु. 25,000/-)	सुश्री अपूर्वा शर्मा पुत्री अनिल कुमार शर्मा डी-256, प्रेमनगर जोतवारा, जयपुर, राजस्थान - 302012	श्री विकास अग्रवाल, एफ-20, 21, 22, रामेश्वयर धाम मुरलीपुरा स्कीरम, जयपुर, राजस्थान
द्वितीय पुरस्कार (रु. 15,000/-)	कुमारी सुमति पुत्री स्वर. माया प्रकाश, ग्राम धियार महोलिया हरदोई, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001	श्री शिवराज वी. रादर, मकान नं. 944, गौरी शंकर नगर, दूसरा मीन, तीसरा क्रॉस, रानेबेन्नूर, जिला हवेरी, कर्नाटक - 581115
तीसरा पुरस्कार (रु. 10,000/-)	श्री राजीव रंजन, ईडब्ल्यूएस-1035, रत्नाकर खंड, रायबरेली रोड, सधुसिटी, लखनऊ-226025 (यू.पी.)	श्री अपर्णा शर्मा पुत्री अनिल कुमार शर्मा डी-256, प्रेम नगर, जेटवाडा जयपुर राजस्थान - 302012

उपरोक्त निबन्ध प्रतियोगिता 2015 के विजेताओं को दिनांक 3.2.2016 को दोपहर 2.00 बजे डी ए एफ इंडिया हेबिटेड सेंटर लोधी रोड, नई दिल्ली में एचएमएसजेई के अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार वितरित किये गए।

बिन्दु (3) : एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोदरा में डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र की स्थापना करना

एम.एस. विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य का संकाय सन् 1950 से कार्य कर रहा है। संकाय डॉक्टोरल लेवल, मास्टर लेवल और डिप्लोमा में पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इसने नियोजन, महिला, बाल, अनु. ज.जा./ज.जा. आदि के विकास के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। यह अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगी विनिमय कार्यक्रम चला रहा है। केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव डॉ. अम्बेडकर के नाम में नोडल और व्यावसायिक संस्थान के माध्यम से इन पहलों को गति प्रदान करना है। यह कार्य एक ऐसे शहर में उन्हें सच्ची श्रद्धांजली प्रदान करना होगा जहां उन्होंने समाज के सीमांत वर्ग के लोगों के लिए कार्य करने की शपथ ली थी। केंद्र के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

क. समाज के सीमांत वर्ग के लोगों जैसे दलित, महिला, बच्चे, मुसलमान और अन्य कमजोर वर्गों के क्षेत्र में दीर्घ और लघु अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करना।

ख. समाज के सीमांत वर्ग के सशक्तीकरण के लिए साहित्य और प्रयोगजन्य आंकड़ा आधार तैयार करना और प्रकाशित करना।

ग. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गोष्ठी, कार्यशाला और लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

2. जिला कलेक्टर, वड़ोदरा ने 1.02 करोड़ की एक अनुमानित लागत पर एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा में डा. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव अग्रसारित किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिन्दु (4) : महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि का विकास

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों के विकास के लिए दो स्थलों की पहचान की गई है जिनका डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान विकास किया जाना है। निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि और गुजरात के बड़ोदरा स्थित चैत्य भूमि का विकास किया जाए।

2. दिनांक 14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने नागपुर में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और उनके अनुयायियों द्वारा इसी भूमि को दीक्षा भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वाई बी चव्हाण ने इस दीक्षा भूमि को परम पूज्य डा. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक समिति को सुपुर्द किया था।

3. समिति ने डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में केन्द्रीय स्मृति स्थल के निर्माण कार्य को शुरू किया है। इस स्मारक की बनावट 200X200 फुट के तहखाने पर अवस्थित है जिसमें कई बहुउद्देशीय हॉल हैं। इस स्मारक के प्रथम तल पर एक बड़ा गुम्बद है जिसमें एक साथ लगभग 5000 लोग समाहित हो सकते हैं। इस बनावट का अग्र भाग सांची के स्तूप के समान है जिसका ब्यास 15 फीट है और इसकी उंचाई 120 फीट है।

4. किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य निम्न हैं:

(क) ताप प्रतिरोधी पेंट से रास्ते पर पेंट किया जाना।
(ख) स्तूप की सतह पर इपोक्सी लगाना
(ग) स्तूप की सतह पर पोलिमर लगाना और
(घ) स्तूप के ढ़ांचे को मजबूत बनाना

5. नागपुर के जिला अधीक्षक ने इस कार्य के लिए एक बजट प्रस्ताव दिया है जो 9,41,39,276 रुपए (नौ करोड़ इकतालिस लाख उनतालिस हजार दो सौ छिहत्तर रुपए) है।

6. आईएफडी की सहमति और डॉ.अ.प्र. के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ इस बजट प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत हिस्से को जिला समाहर्ता, नागपुर को निर्गमित कर दिया जाए। 11 जनवरी, 2016 को 4,70,69,638 रुपए की राशि निर्गत कर दी गयी है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से अनुरोध किया गया है कि वे इस राशि को जिला समाहर्ता को अंतरित करें।

बिन्दु (5) : डॉ. अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के अवसर पर निम्न 4 समूहों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) के लिए 100 विद्वानों का अध्ययन भ्रमण :-

समूह-1 : 12 से 18 अक्टूबर, 2015 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका के लिए 25 विद्वानों का अध्ययन भ्रमण।

समूह-2 : 19 से 25 अक्टूबर, 2015 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका के लिए 25 विद्वानों का अध्ययन भ्रमण।

समूह-3 : 24 से 31 अक्टूबर, 2015 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) के लिए 25 विद्वानों का अध्ययन भ्रमण।

समूह-4 : 21 से 28 नवंबर, 2015 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) के लिए 25 विद्वानों का अध्ययन भ्रमण।

बिन्दु (6) : राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़

राष्ट्रीय एकता के लिए एक दौड़ आयोजित करना डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले देशव्यापी समारोहों के दौरान की जाने वाली एक चिन्हित गतिविधि है। नेहरू युवक केंद्र संगठन जो कि युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है को इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

कुल व्यय 171.76 लाख रुपए है और इसे दिनांक 2 नवंबर, 2015 की स्वीकृति (प्रति संलग्न) द्वारा एनवाईकेएस को जारी कर दिया गया है।

3. एमजेएसई की स्वीकृति के साथ खेलकूद कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ आयोजित करने के लिए राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य मुख्यालयों और कमिशनरियों सहित 105 स्थानों को चिन्हित किया गया है। नेहरू युवक केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) ने पहले ही लखनऊ, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर एवं कपूरथल्ला में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन से पूर्व सभी चिन्हित स्थानों पर कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे। अध्यक्ष एमएसजेई ने लखनऊ में और खेलकूद मंत्रालय एसजेई (के.पी.) ने अन्य चार स्थानों पर कार्यक्रम का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

4. एनवाईकेएस द्वारा प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष डीएएफ द्वारा स्वीकृत किए गए मूल बजट प्रस्ताव में विज्ञापनों और प्रतिभागियों के लिए पी कैप और टी-शर्ट के लिए कोई घटक नहीं था। जेएस एससीडी इस बात से सहमत थे कि यदि एनवाईकेएस उनको पहले ही जारी किए गए फंडों से इन अतिरिक्त मदों पर व्यय को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे अतिरिक्त आवंटन की मांग कर सकते हैं।

बिन्दु (7) : डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय आयोजन के उपलक्ष्य में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (सी.डब्लू.बी.ए.) अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 17 खण्ड (20 पुस्तकों) का ऑडियो बुक बनाने के संदर्भ में।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आम सभा की दिनांक 10.1.2014 की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के 125 जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाड.मय (सी.डब्लू.बी.ए.) अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 17 खण्ड (20 पुस्तकों) का ऑडियो बुक शीघ्र रूपान्तरित/बनवाना है। इस अनुपालन में डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण को आडियों फार्म में रूपान्तिरित करवाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क किया तत्पश्चात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, (NIVH) देहरादून आडियो बुक बनवाने की दर आदि प्राप्त की गई तथा कालाकारों के आवाज के नमूने अनुमोदित किए गए।

2. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड.मय (सी.डब्लू.बी.ए.) अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 17 खण्ड (20 पुस्तकों) के 14500 पृष्ठ को ऑडियो बुक की 100 सीडी बनवाने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (NIVH) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन) देहरादून को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने आदेश दिनांक 9.6.2015 को दिया गया था। सी.डब्लू.बी.ए. अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 17 खण्ड (20 पुस्तकों) की आडियो बुक बनवाने के इस प्रोजक्ट के लिए 20,06,500/- रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई थी जिसमें से 50 प्रतिशत राशि 10,03,250/- रूपये की राशी अग्रिम रूप् में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH को देने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो उनको शीघ्र जारी करने की व्यवस्था की जा रही है तथा शेष राशि कार्य पूरा होने के पश्चात NIVH को भुगतान कर सकेगी।

3. माननीय मंत्री महोदय ने 06.11.2015 को NIVH देहरादून के दौरे के दौरान सीडब्लूबीए की आडियो सीडी के आवाज़ के नमूने (voice sample) अनुमोदित की गई है। तथा NIVH ने अब तक 7 खण्डों की आडियो बुक तैयार कर दी है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड.मय (सी.डब्लू.बी.ए.) अंग्रेजी भाषा की आडियो बुक का विमोचन दिनांक 3.2.2016 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार के समारोह में माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाना है।

4. बाबासाहेब अम्बेडकर के 125 जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड.मय (सी.डब्लू.बी.ए.) हिन्दी संस्करण की आडियों बुक (सीडी) बनवाने के लिए भी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH, देहरादून से लागत अनुमान (एस्टीमेट) मांगा गया है। एस्टीमेट प्राप्त होने पर सीडब्लूबीए के हिन्दी संस्करण की आडियों बुक बनवाने की व्यवस्था की जानी है।

बिन्दु (8) : गणतंत्र दिवस, 2016 पर डॉ. अम्बेडकर की झांकी का प्रदर्शन

मंत्रालय ने इस कार्य का दायित्व मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) को सौंपा था। 26 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झांकी का प्रदर्शन किया गया था। एनएसएफडीसी द्वारा इस पर किया गया व्यय 20 लाख रुपए है।

बिन्दु (9) : 26 अलीपुर रोड दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

1. भारत सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए की एक लागत पर 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में एक डा. अम्बेडकर स्मारक स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य को सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है जिसने वहां वर्तमान निर्माण को गिरा दिया है। डीयूएसी और एमसीडी की स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं। शीघ्र ही एक तिथि को स्मारक की नींव रखी जाएगी।

2. कार्यक्रम के दिन पर विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए सहित नींव रखने के समारोह हेतु अनुमानित व्यय 1.50 करोड़ रुपए होगा।

बिन्दु (10) : डॉ. अम्बेडकर के जीवन से संबंधित वर्चुअल डिजिटल संग्रहालय

डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के क्रम में डॉ. अम्बेडकर पर Virtual Digital Museum विकसित किया जा रहा है। जिसका कार्य सेन्टर फॉर डवलमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्पुटिंग, (पुणे) महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है।

2. Virtual Digital Museum में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर से जुड़े शिल्पकृति, डिजिटाइज्ड फोटोग्राफ्स एवं पत्राचार, उपलब्ध भाषण-विडियो एवं ऑडियो डॉ. अम्बेडकर से जुडे अन्य वस्तुएं डिजिटाइज्ड फार्म में रखी जाएगी।

बिन्दु (11) : डॉ. अम्बेडकर की जन्म वर्षगांठ/महापरिनिर्वाण दिवस के समारोह/आयोजन:

1. भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई डा. भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसरण में 24 मार्च, 1992 को फाउंडेशन की स्थापना की गई थी।

2. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के प्रमुख उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत और विदेश में लोगों के बीच में डॉ. अम्बेडकर के सिद्धांत और संदेश को फैलाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का कार्यान्वयन सम्मिलित हैं।

3. फाउंडेशन को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के दौरान चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण और दीर्घावधि स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन का दायित्व सौंपा गया है।

4. प्रत्येक वर्ष फाउंडेशन संसद भवन के प्रांगण में एक उपयुक्त तरीके से 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती और 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाती है। वर्ष के दौरान, इस दिन, सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग भाग लेते हैं। बड़ी संख्या में आम लोग भी डॉ. अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

5. डॉ. अम्बेडकर की जन्म वर्षगांठ/महापरिनिर्वाण दिवस मनाने/आयोजित करने के लिए 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा जन सामान्य भारी संख्या में धम्म पूजा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

6. इन अवसरों पर, डीएएफ मंत्रालय के मीडिया डिवीजन के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करता है। उपरोक्त प्रत्येक कार्यक्रमों के मनाने और आयोजन में होने वाला व्यय लगभग 3.50 करोड़ रुपए है।

अनुसूचित जातियों के प्रति संवैधानिक सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान

अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों और अनुसूचित जाति उपयोजना निधि के प्रयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, सामाजिक न्याय सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक को सम्बोधित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत मंच पर बैठे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया, श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं अन्य

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत ने राज्यों से अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए संविधान में दिये गये अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों को रोकने और उनको सशक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत किया है। इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने और हर स्तर पर निगरानी प्रणाली गठित करने की आवश्यकता है।

श्री गेहलोत आज अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों और अनुसूचित जाति उपयोजना निधि के प्रयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, सामाजिक न्याय सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक का उद्घाटन करने के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। श्री गेहलोत ने कहा कि अनुसूचित जातियों के प्रति छुआछूत को समाप्त करना हमारा संवैधानिक दायित्व है।

राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर संवेदनशील बनाना होगा। विशेष न्यायालयों की स्थापना, जिला और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की कार्यप्रणाली और नियमों के तहत आर्थिक सहायता का वितरण की निगरानी उच्चतम स्तर से होनी चाहिए। श्री गेहलोत ने कहा कि विकास प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कायम रहने से विशेष और केंद्रित नीति बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है जिससे उन्हें संपूर्ण आर्थिक विकास के लाभ अधिक प्राप्त हो सकें। यह अनुसूचित जाति उप योजना के लिए बजट द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अनुसूचित जाति उप योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजट और योजनाओं का आवंटन करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला, श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री रामदास अठावले ने भी भाग लिया। इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष श्री पी.एल. पुनिया और उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

बैठक में अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार पर रोकथाम, हाथ से मैला ढ़ोने वालों की पहचान और पुनर्वास, अनुसूचित जाति उप योजना का क्रियान्वयन और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के क्रियान्वयन की निगरानी पर विचार-विमर्श हुआ। ■

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस अवसर पर उपस्थित हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री एवं विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती आइन्द्री अनुराग

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब तक विस्तार चरण में 5 पायलट राज्यों को 201 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों को 228.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में 1000 पायलट गांवों में इस योजना की सफलता के बाद इसे असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 1500 अनुसूचित जाति के बहुमत वाले अन्य गांवों में लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले अनुसूचित जाति बहुमत वाले गांव के एकीकृत विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बहुमत वाले गांवों का संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एकीकृत विकास अर्जित करना और मौजूदा योजनाओं के अधीन नहीं आने वाली अन्य गतिविधियों को जारी रखने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना है।

पीएमएजीवाई के अधीन गांव के एकीकृत विकास के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

(1) सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने जैसी वस्तुगत अवसंरचना

(2) स्वच्छता और पर्यावरण

(3) सामाजिक बुनियादी ढांचा, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव

(4) आजीविका।

इस बैठक में चुनिंदा सांसदों, संबंधित विषय मंत्रालयों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। ■

सम्पादक के नाम पत्र

महती भूमिका

सम्पादक महोदय,

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' के लिए सम्पादक महोदय श्री सुधीर हिलसायन जी को बधाई।

मैं पत्रिका का नियमित अध्ययन करता हूँ, प्रत्येक माह नये रोचक लेखों का इंतजार रहता है। जिसमें समाज और न्याय के संदेश इस पत्रिका में हमें पढ़ने को मिलते हैं।

इस पत्रिका में छपे लेख के साथ ही लघु कथा व कविताएं भी समाज को जागरूक करने में अपनी महती भूमिका निभा रही है, साथ ही चाहता हूं कि आजीवन सदस्यता भी ग्रहण करूं ताकि पत्रिका नियमित रूप से मेरे पास पहुंचे जिससे मेरे परिवार, गांव, समाज को सामाजिक जागरूकता मिलती रहे।

- मुकेश कुमार

ग्राम - बादलपुर, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.

महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी

सम्पादक महोदय,

मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' में जो शब्द एवं चित्र दर्शाए जाते हैं। उसके प्रभाव से मानव जीवन व व्यवहार में तीव्रता से बदलाव आता नजर आ रहा है। मैं पत्रिका का नियमित पाठक हूं, पत्रिका के माध्यम से मुझे व मेरे समाज को विचारों के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी मिलती रही है। जिस कठोर परिश्रम के साथ पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, मैं सम्पादक जी का आभार व्यक्त करता हूं।

- टी. कुमार

शाहदरा, नई दिल्ली

ज्ञान का भण्डार

सम्पादक महोदय,

आज के युग में शिक्षित होने के साथ-साथ कुछ अधिक जानकारी और भी होनी चाहिए। मनुष्य शिक्षित तो है लेकिन खुद को व्यस्त रखकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाता है, इसमें 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका 'गागर में सागर' भरने का कार्य करती है। मैंने, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित एवं श्री सुधीर हिलसायन द्वारा संपादित पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' को पढ़ा एवं जाना कि किस प्रकार भारत सरकार, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सहायता करती है। पढ़कर अच्छा लगा कि जिन जानकारियों के लिए हमें इधर-उधर भटकना पड़ता था, सम्पूर्ण जानकारी पत्रिका के रूप में घर बैठे ही मिल जाती है। जिस तरह आप समाज के साथ चलकर जनता को शिक्षित एवं विकास की ओर ले जा रहे हैं, आपके इस जज्बे को नमन करता हूं।

-प्रीति कुमारी

सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महेन्द्रगढ़
हरियाणा

क्रांतिकारी विचारों की पत्रिका

सम्पादक महोदय,

सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के जून माह के अंक में युग पुरूष कबीरदास के समाज सुधारक व क्रांतिकारी विचारों को केन्द्र में रखने के आपका बहुत-बहुत आभार। यह सही है कि वर्तमान समय में जिस तरह से समाज में कबीर के समय से भी खतरनाक स्थितियां निरन्तर पैदा हो रही है या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पैदा की जा रही है ऐसे समय में कबीर के विचारों को समाज तक पहुंचाना आवश्यक है जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके। इस दिशा में आपका यह प्रयास सराहनीय और सार्थक है। श्रीमान आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आगे आने वाले अंक में यदि दो-तीन शोध परक लेख पाठकों के लिए शामिल करें तो उसे पढ़कर हम और अधिक लाभान्वित होंगे।

धन्यवाद

- अरूण कुमार धन्दे

रूम नंबर - 21, सतलज छात्रावास,
जेएनयू, नई दिल्ली - 110067

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन) की मासिक पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

संपादक : सुधीर हिलसायन
संपादकीय संपर्क : 011-23320588/सब्सक्रिप्शन संपर्क : 011-23357625

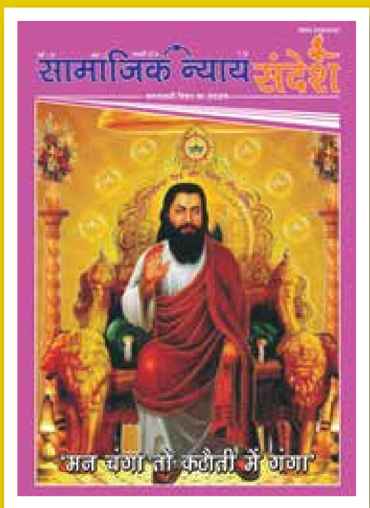

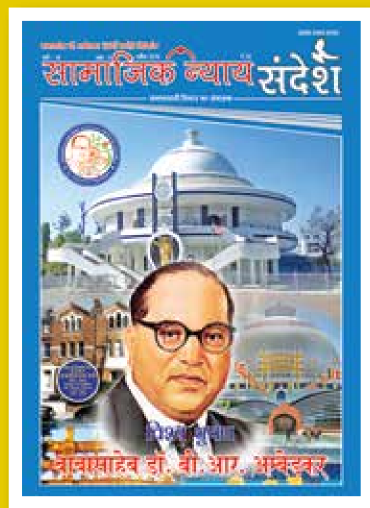

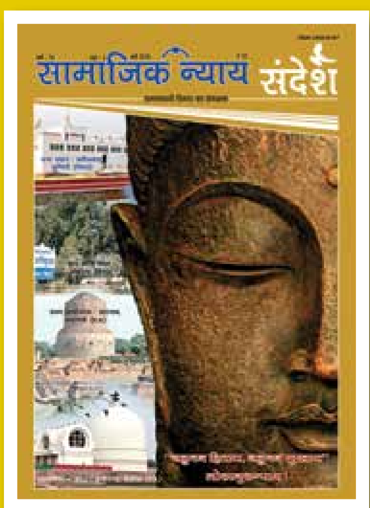

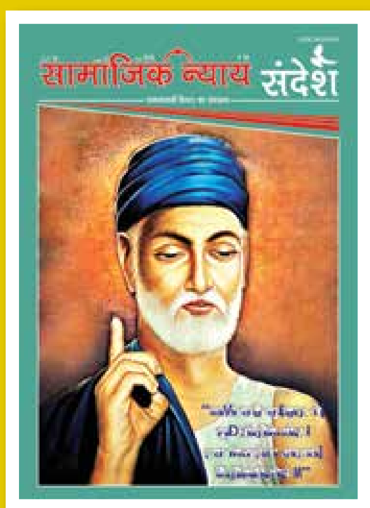

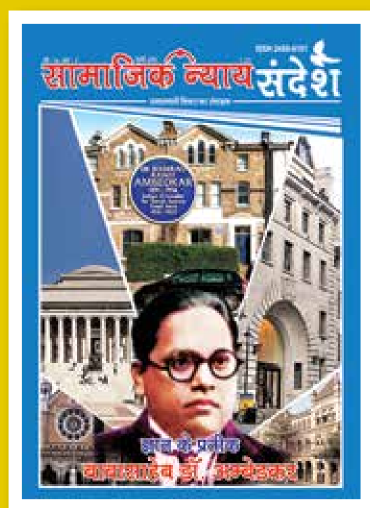

स्वयं पढ़ें एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

पाठक सदस्य बनें

कार्यालय : 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23320588, 23320589, 23357625
फैक्स : 011-23320582, ई.मेल : hilsayans@gmail.com, वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(पत्रिका उपर्युक्त वेबसाईट पर पढ़ी/देखी जा सकती है)

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुन: आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन को जानने/समझने में मदद मिलेगी ही तथा फाउन्डेशन के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों परिवार-समाज के सदस्यों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए **एक वर्ष के लिए रू. 100/-, दो वर्ष के लिए रू. 180/-, तीन वर्ष के लिए रू. 250/-,** का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा। पत्रिका को फाउन्डेशन की बेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी देखी/पढ़ी जा सकती है।

- सम्पादक

सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

शुल्क: वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर...दिनांक.......................संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....पिन कोड ....

फोन/मोबाईल नं.....................................ई.मेल: ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन

15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625

श्री रामदास अठावले 6 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री के रूप में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत की उपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करते हुए।

केरल सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, तिरुवनन्तपुरम में दिनांक 12 जुलाई 2016 को महात्मा अय्यनकली सेन्टर फॉर केरला स्टडीज के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत।

RNI No. DELHIN/2000/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन